विद्युत मंडल के अन्वरत्म विद्युत विकास की दशा एवं दिशा का अनुदेश
विद्युत मंडल के अन्वरत विद्युत विकास की तथा एवं दिशा का अनुदेश

सारे संसार में बीसवीं शताब्दी मानव सम्पत्ति के क्रांतिकारी विकास के चरमतंत्र के लिए याद की जाएगी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि इस सत्ता के खाते में जितनी उपलब्धियाँ अंकित होंगी उनमें से अधिकांश विद्युत की देख होंगी। बीसवीं सदी की सांस और इक्सवीं सदी के अरुणोदय के पहली आम जनवजीवन बिजली पर इतना आभारित हो गया है कि अब बिजली के बिना जीवन या विकास की कल्याणा भी असंभव है।

हमारा देश में और म.प. विद्युत विकास की कहानी मुख्यतः आधी शताब्दी के कर्मचारी, समर्पित तथा कुशल बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयासों की कहानी है। शताब्दी के शुरुआत के पहले अंधेरे में बिजली के कुछ लक्ष डरों की चमक मात्र जून जुन मौल जैसी विद्युत पड़ती थी, जहाँ भी प्रशासन के नगन धरे में। जात हतियार के अनुसार तब के सी. पी. एंड बराबर के नागरिक में तथा १९२० में सर्वप्रथम बिजली आई थी। फिर भारतीय विद्युत अधिनियम १९३० की छुट्टीया विद्युत के उत्पादन तथा उपयोग हेतु लागू रहे नियमों के साथ कार्य का प्रारंभ हुआ। भीषण शहर बिजली के उत्पादन के उत्पादन के लिए सुवर्ण सत्यनरायण शासन के हाथ में आए और इस कार्य का प्रारंभ हुआ। बिजली के उत्पादन के प्रारंभ के अनुसार विद्युत विकास का युग प्रारंभ हुआ। विद्युत के उत्पादन प्रारंभ के वितरण के सार्वजनिक उपयोग के लिए कर्मचारी आयुक्त राजा नन्द ने योजनाओं के माध्यम से रवाना किया भविष्य की योजनाओं में तात्कालिक उपयोग हुआ। दीर्घकालिन योजनाओं के माध्यम से रवाना किया भविष्य की योजनाओं में तात्कालिक उपयोग हुआ। दीर्घकालिन योजनाओं के माध्यम से रवाना किया भविष्य की योजनाओं में तात्कालिक उपयोग हुआ।

आज जहाँ प्रदेश के सभी शहर विद्युतीकृत कर दिया गया है और बिजली अब जुन जून की तरह तिमाही नहीं सुरुज की तरह रात को दिन में बदलने का अधिक पालन बन गई है। बीसवीं सदी के यह शहर गादेद पहुँचने के सवाल भी समस्यापूर्ण हो गया है। जो मांग अनुरूप पर्याय विद्युत उत्पादन तथा सर्व सुगंधाय युक्त विद्युत प्रदान हो यहीं म.प. विद्युत मंडल का नर्त्त हो गया है। जब तो म.प. विद्युत मंडल अन्वरत विकास का नया पूरा कर रहा है निःसे उसे आशातीत सफलता भी प्राप्त हुई है। इसी का विवरण यहाँ पर म.प. को क्रम्यांगनात्मक भाग में बांट कर करनें। म.प. की कुल १० क्षेत्रों में बांटा गया है। जिसमें आज तक जो अन्वरत विद्युत विकास हुआ है उसका क्रमानुसार विवरण मन्न प्रकार से है।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन एक लाभकारी चुनौती: 

छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के गठन के अधिनियम १९५८ में दिये गये स्वागत के आधारभूत पहलुओं से राज्य के उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करते आगे बढ़ते रहा है, किंतु नये संशोधित पुनर्गठन अधिनियम २००० के प्रावधान के अनुसार विशेष विभाग एवं निति को अमल में लाने से सख्त आरोपित व्यवसायिक स्तर पर खेल में उपभोक्ताओं को विद्युत दर बढ़ने का कोपभाजन बनाना होगा। एक और भारतीय विद्युत अधिनियम १९५८ में प्रकट राज्य विद्युत मंडल के स्वागत का हमने नहीं किया। वहीं नये अधिनियम में इसे व्यक्तिवादक स्वरूप देने की नीति को अंजाम देने के कारण विकास की बात न्यायसंगत नहीं हो सकती है। सदस्य प्राधिक एवं वितरण को विद्युत प्रणाली से संबंधित प्राथमिक वितरण एवं मानवदन्ती दैनिक करना। परीक्षण एवं संचार सहित इ.एच.डी. प्रणाली योजनाओं का नियोजन, परयोजना निर्माण, स्वारूप परीक्षण योजना डेटा, उच्च दाय-निम्न दाब लाइनें, ट्रांसफार्मर केन्द्र एवं उप केन्द्र एवं वितरण प्रणाली में स्काउट्स एवं बाधाएँ, केन्द्रीय कमिश्नर, भंडार
व्यवस्था, राज्य के पिछले क्षेत्र में बिद्रूप विवसित कर्जसम्मान, छायांकिणी. बिद्रूपीकरण निगम की योजनाएं एवं उद्योग संचाली योजनाएं और विभाग से संबंधित विभाग सभा एवं लोक सभा प्रशन के प्रत्युत्तर तैयार करने की वृद्ध जवाबदारी होती है।

राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र फलाफल निर्मा, खच्ची लेखा-जोखा एवं लेखा परीक्षा, क्रम योजना का मूल्यांकन, मंडल लेखा, आय का लेखा-जोखा, पेंशन, भविष्य निधि एवं व्यापार वाले अधिकार, कम्प्यूटर के उपयोग कार्य को संचालित करने हेंगे। सवर्ण सिविल इंजीनियरिंग की पी.सी.ओ. खंभों की निर्माण स्काॅर्ऑर, विभागीय फैक्टरियों, परिषद एवं वित्त तथा ताप एवं जल बिद्रूप परियोजनाओं में सिविल निर्माण, कार्यालय एवं आवासीय भवन के आवासन सहित समस्त व्यवस्थापन कार्य एवं व्यवहार वाले, बागवानी से संबंधित कार्य, हवाई पट्टियां, झरणे नियोजन, भूमि के उपयोग तथा प्राकृतिक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य, सफाई, पर्यावरण, जल अधिकारियों के कार्य, तथा परिवहन व्यवस्था, रेलवे जल बिद्रूप परियोजनाओं सहित तथा एवं लघु जल बिद्रूप योजनाएं, निर्माण कम्पनी के ऊर्जा हेमेडन एवं जल बिद्रूप परियोजना संबंधी कार्य निपटाने हेंगे।

सवर्ण उन्नत का ताप बिद्रूप उन्नत, संभाव्यता, अध्ययन, परियोजना प्रतिवेदन लेयार करना, ताप एवं जल बिद्रूप गृहों का संचालन एवं संचारण नई जल बिद्रूप परियोजनाओं में स्नेह्योत्सव प्रकारक उपकरणों की स्थापना, राज्य में बिद्रूप भार व्यवस्था, अपने विभागों से संबंधित क्रय निविदायें, सुधार, निरीक्षण तथा व्यवस्थापक बिद्रूप गृहों के निर्माण संचालन एवं औद्योगिक संबंधी सुरक्षा आदि कार्य सम्पन्न करते हैं। अध्ययन के साधन को सामान्य प्रशासन, सचिवालय तथा स्थापना, नीति एवं सहयोग, प्रशासनिक सुधार मंडल एवं परिसर संबंधी मामले, राज्य शासन एवं जिला-अधिकारियों से सम्पर्क, ऊर्जा अन्तराष्ट्रीय संयुक्तशासन संबंधत एवं विकास, संस्कृतीय प्रकोष्ठ, बाणिज्यिक बिभाग-बिद्रूप बनाएं का निर्धारण, आय मांग एवं वस्तु, शोष एवं विकास उड़ान के गैर व्यापारिक एवं वैकल्पिक मार्गों का विकास करने संबंधी महत्व एवं प्रशासनिक स्तर के कार्य संचालन करने हेंगे। इस तरह से स्वतंत्र सदस्यीय बिद्रूप मंडल एवं संचालक मंडल बनकर जनता के औद्योगिक कृषि एवं धरतीय उपभोक्ताओं की सेवा में निर्णय लेते मंद समय हो सकेंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य में विविध संचालन की व्यवस्था पूर्व में स्थापित ८०० की उपबंद्र नियोजित, भिलाई में स्थापित है। जहाँ से विविध की अन्तर्गत वितत होने की जाती है एवं महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दक्षिण की एन.टी.पी.सी. से विविध आपूर्ति की रही है। इसी तरह टावर लाइंस के निमित्त पार्ट भिलाई स्थित कर्मचारी से हो रही है एवं त्वरित गति से द्वारसंग्राम रिपेयरिंग करने की यूनिट की स्थापित है, जो कि भिलाई स्टील प्लांट खुलने के समय से स्थापित है। यह राज्य विविध मंडल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ विविध संचालन उच्च परिषद तकनीकी लाइंस कुमारी स्थित नेशनल पावर ग्रिड से अन्य राज्यों तक विविध आपूर्ति की सबसे बड़ी योजना पूर्ण हो जाती है। बस्तर के बारातूर में उच्च तकनीकी की हाई कॉर्ट को लो कॉर्ट में बदलने की एच.बी.डी. प्राणियों योजना सफल की गई है जो देश स्तर में प्रथम स्थान माना गया है। यहाँ १० लाख उपयोक्ताओं की सेवा में १३६० मेगावाट की उपलब्धि से प्रवाही, बिलिंग प्रणाली की स्थापना का जा सकता है।

शेष बचत उपयोगिता विज्ञानी बनाये जाने की स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य में बननी है। कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सीमित संख्या २८५०० को मात्र २३ करोड़ भुगतान करने होंगे। इसी तरह विविध उपयोक्ता ७० प्रतिशत एवं तेल के खरी २५ मिलियन लीटर तक लाने से करोड़ों की बचत होगी। साथ ही ७८ हजार कृषि फम्पों एवं ६ लाख सिंगल व्हाइट केन्द्रण कास्टर्स को छुट्टी देने के परिचालन उच्च परिषद रिपेयरिंग की बिलिंग करने से राजस्व प्राप्त की संभावना बढ़ सकती है। जिससे राज्य शासन को विविध टेक्स्ट दे पाए रूपये प्राप्त होने।

छत्तीसगढ़ राज्य गर्भधारक को जलवायु में विविध विकास के लिए आयोजित योजना करने की आवश्यकता नहीं होगी। मात्र बोल्डेज समस्या के राष्ट्रव्य में के लिए सभी टेस्टिंग का निमित्त करना आवश्यक होगा। विविध आपूर्ति में बंदर व्यवस्था के विविध कंट्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी एवं विविध क्रिया के कारण राजस्व की खार लाने से बचाया जा सकता है। यहाँ लगभग १३ लाख उपयोक्ताओं से २५ करोड़ की विविध टेक्स्ट प्राप्त होगी एवं द्वारसंग्राम व लाइंसों की जोच शुल्क से बेड़े उपयोग की जाति में करोड़ों की टेक्स्ट वसूली की संभावना बनती है। मिटर शीटिंग के लिए आवश्यक पद निमित्त कर प्रत्येक माह बिलिंग पद्धति अपनायी जानी चाहिए एवं
चार्ग को संक्षेप में लिए सत्तकता विभाग की दुर्लभ प्रविष्टि एवं चुका करने की आवश्यकता है। विश्वास गढ़ जैसे स्थान में प्रकाश व्यवस्था की जीत में किसी प्रकार की जान-जानीकर हेंद्री की दृष्टि में होगी।

इस राजनीतिक छनसंग्रह राज्य सबसे अधिक विश्व उत्पादन, अधिक राजस्व पानि, कम खर्च में स्थापना एवं ना ही बड़े बैंक से पेसा लेकर पाबंद प्लांट खोलने की आवश्यक परिस्थितियों से कोसों कुछ है। राज्य में बोधाथार मैजैसे उच्च विश्व गृह स्थापना एवं बिलासपुर में होने वाली फन.टी.पी.सी. की योजना क्रियान्वित करने से विश्व राज्य पर अधिक विश्व राज्य हो सकता है। यहाँ पर १७० करोड़ की विश्व गृह से १६० करोड़ तक गर्मी प्राप्त हो रही है। अतिक्ष में व्यापार ही ५० करोड़ प्रतिवर्ष ६० लाख में स्थापित है। गर्मी प्राप्त होते हैं तो प्रदेश राज्य में प्रथम है। यहाँ ५५ करोड़ से २०० करोड़ गर्मी प्राप्त होगी।

यहाँ विश्व संचालन में २०० के.वी. के ६ सब स्थान। १३५ के.वी. के मात्र एक केन्द्र एवं अंग-उच्चवाच लाइनों के जाल से ३५० के.वी. के २६९ किमी, २२० के १८२३ किमी., १२२ के २५७० किमी, ६६ के २५७० किमे ३३ के.वी. के ६,१२६ किमी, २२ के.वी. के ५००० तथा एलटी के ५००० वर्ग कि.मी.टर लाईन व्यवस्थापन के लिए सहाम होगी। इसी राज्य के उपनिर्देशों के संस्था २९,००० है, जिसे संचालित कर वह एवं जानकार तकनीकी कामगारों की आवश्यकता में भर्तियों में इक्काउंट नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान में केन्द्र सरकार प्लांट नाम निजी उद्योगों को व्यक्तिकृत देने से विश्व मंडल को आयर्न दान उजाहरी प्रदर्शित करने से विश्व मंडल को अन्य भाग की जीत में की जाना चाहिए। विक्रेता एवं निर्यातक के परिस्थित वर्तमान में तक बिन दूर नहीं जब किसी को ३.६० रूपये विज्ञान उपयोगक्रमों के ५.०० सय प्रति सूनिग बनांगे। उद्योग राज्य में विक्रेता विक्रेता १२०० करोड़ का पाठा पहुँच चुका है। वहाँ ०.१० स. से बढ़कर २.५५ स. प्रतिसूनिग हो गई है। इसलिए आर्हिक गृहाली से भरी है विक्रेता छूटियों राज्य विश्व मंडल अपने स्वतंत्र के व्यवस्थापन से किसी परिस्थितियों २५ रुपए करोड़ राज्य गर्मी होगी। निम्नाप्रण विक्रेता के मायानाल में हंसने-फसंने से दूर रहने में ही गर्मी की भावना निश्चित है।
छत्तीसगढ़ शासन ने बहुप्रतीक्षित छत्तीसगढ़ राज्य विधुत मंडल का गठन कर दिया है जिसका मुख्यालय आगमी आदेश तक राजधानी रायपुर में ही रहेगा। तीन सदस्यों विधुत बोर्ड के पहले अध्यक्ष एस. के. मिश्रा (प्रमुख सचिव, वित्त) नियुक्त किए गए हैं।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि म.प्र. राज्य के पुर्णकवल अधिनियम-2000 में ही केंद्र शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पृथक विधुत मंडल के गठन का प्रावधान किया था। 1 नवंबर को राज्य गठन के साथ ही छत्तीसगढ़वासी पृथक विधुत मंडल की मांग करते रहे हैं। इस बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने मुख्यमंत्री ने भी गठन की ओर उन्हें आज मुलाकात दी। इसके साथ ही पृथक मंडल के गठन को चक्र पूरे में लगाया जा रही अटकलों पर विराम लग गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का विधुत मंडल, देश का पहला ऐसा मंडल बनेगा जो अपने गठन के दिन से ही २५० मेगावाट के विधुत आधिकार के साथ गठित किया गया है। अधिकृत सूची से भिन्न जातिकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने म.प्र. विधुत मंडल अधिनियम-2000 के भाग-1त के अनुसार विधुत बोर्ड का गठन कर दिया है। इस आदेश की अधिकृतता उन्नी सचिव ने उद्योग-इंजीनियरिंग के नाम ही नाम से चुनी है, नये राज्य विधुत बोर्ड का मुख्यालय आगमी आदेश तक गगनपुर में ही रहेगा। इस बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष श्री एस. के. मिश्रा (प्रमुख सचिव, वित्त) को बनाया गया है। इनके अलावा बी. के. एस. रे (कृषि उन्नयन अभयारण) एवं अन्य सचिव (सचिव उज्जवल) बोर्ड के दो अन्य सदस्य होंगे। इह नीतियों निर्णय समितियों आगमी आदेश तक अस्थायी रहेंगी। बोर्ड गठन की अधिसूचना गठन प्रकाशन के लिए प्रेम दी गई है।

इस संबंध में सम्पक सहित तथा पुनस्थापन ने बनाया कि म.प्र. शासन में भी गठन्त्र ने नींद ही गई है। भूगर्भभूषण विशिष्टता निपटा पूरे में ही हमी भर चुके हैं। उन्नी ने बनाया कि पृथक बोर्ड गठन के साथ ही तमाम समितियों एवं अंशियों के

निहारक के प्रकाशन भी शुरू कर दी गई है।
सेवन सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विश्वु भेंडल का बंटवारा करें।
गदि किसी कह्र का विवाद होता है तो फैसला केन्द्र सरकार करें। यह सारा
बंटवारा दो वर्ष के भाग कर लिया जाएगा। पूर्वक मंजुल के गठन के साथ ही
छात्रवादियों सम्मिलित सरकार सरकारी उत्तरदायी संघर्ष छुटाया जाने। पूर्वक म.स. विश्वु
भेंडल के एग्जिक्यल विश्वु के विश्वु के विश्वु के लिए शासन ने अधिकारी-कर्मचारियों से विकल्प
माणे हैं। इनकी पता-पता भी शीघ्र ही कर दी जाएगी। वर्तमान में की जा रही
विश्वु बंटवारा बंट करने की संभावना के मण्डल उत्तरदायी विश्वु में म.स. की
हिस्सेदारी कुछ उत्तरदायी, ऑफिस व ईजिक्यल का आक्षेपण करने के बाद कट्टरी वापसी
का निर्णय लिया जाएगा। नया-नया बंटवारा भेंडल काल से ही विश्वु अधिकार वाला
बंटवारा लोग। इस संबंध में मंजुल सूची से मिला जानकारी के अनुसार छुट्टीगाढ़
विश्वु भेंडल के लिए विश्वु उत्तरदायी करने वाले सभी संघर्ष कोशिश में ही है। इस
संबंध में सरकार को नई विश्वु वायर कोशिश से करीब 800 मेगावाट की विज्ञनी भी
भागी है। कोई स्थिति की कोई स्थिति दो पारंपरिक द्वारा 1360 मेगावाट एवं हार्डेड बांगा
मालालोंकी जन विश्वु केन्द्र द्वारा 120 मेगावाट की विज्ञनी का उत्तरदायी किया जाता
है। चूँकि विश्वु उत्तरदायी में 55 से 60 प्रतिशत तक की कमीसें (फलक्यूट) रहती है नज़र
की नज़र की कमी एन.डी.सी. की भागीदारी से पूरी की जाएगी।
एन.डी.सी. की इस हिस्सेदारी से हायलेट सरकार विश्वु भेंडल के बाज़ार करीब
150-200 मेगावाट विज्ञनी अधिक होगी जिसे निकट भविष्य में पड़ासिंध सरकार की
बंटवारा भी जा सकता है। नये मंजुल का मुख्यालय सरहदी रूपया में और लोड
डिफिन बंटवारा (विश्वु द्वारा वितरण केन्द्र) भिलाई में स्थापित किया जाएगा।

छात्रवादियों शासन द्वारा अपना पूर्वक विश्वु बंटवारा भेंडल कर दिये जाने के
प्रारंभ अब विश्वु मंजुल के विकल्प का निर्णय नये सरकार का विकल्पाध्यक्ष है। वैसे
संग ग्राम की ग्राम दो संग संघर्ष विकल्प का विकल्प कर दी जाएगी। इसके मुताबिक
ग्राम संघर्षों को नई वायर के उद्देश्य विकल्प का प्रयास अविश्वु निर्णय होगा।
जन तक म.स. सरकार ने विश्वु भेंडल अधिकारियों भी तैयार कर लिया है निर्णय अब
कृत्रिम संघर्षों के साथ पेश किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित विद्युत मंडल के गठन पर मंचिमेण्डल की मूल की आवश्यकता है। इससे बाद ही पूरे रूप से गठन माना जायगा। विद्युत बोर्ड अधिनियम 1948 की धारा ७५ और एक से तहत गठन का निर्णय राज्य मंचिमेण्डल से करना है। वर्तमान मंचिमेण्डल की आगामी बैठक में यह जीवित रहिता पूरी कर ली जायगा। विद्युत अधिनियम 1948 की अनुशंसा के महत्तर यह स्वाभाविक उदाहरण जाना है कि बोर्ड में सदस्यों की संख्या तीन होनी चाहिए या सात अधिनियम में सात सदस्यों की अनिवार्यता है जबकि मुख्य सचिव तीन सदस्यों की नियुक्ति को कानूनी अनिवार्य बताते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् प्रदेश विद्युत मंडल की व्यथा-कथा

छत्तीसगढ़ राज्य में नए निगम और मंडलों की स्थापना ३१ मार्च तक कर निर्मा है। अधिवोषिन्नाता विकास समेत तीन निगम जकर अस्तित्व में आ गये हैं लेकिन श्रेणी उपरिस्तरों के आधिकार का परीक्षण करने में ही समय लग सकता है।

मध्यप्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन को अल्टीमेटम दिया था कि वह ३१ मार्च तक निगम-मंडलों का शिकार कर न कर निर्मा है। हालांकि छत्तीसगढ़ जिले न्यायालय की जा रही थी, लेकिन अल्टीमेटम की सिर्फ यी नियुक्ति से गठन झटका जा गया है।

राज्य पूर्णरक्षन अधिनियम में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि निगम-मंडलों का शिकार तीन वर्षों के लिए ही किया जा सकता है। दोनों राज्यों के बीच आयोग सामन्जस्य के गाथ इनके विभाजन का प्रावधान है। विवाद होने पर केंद्र सरकार मानना सुलझायेगी।

राज्य पूर्णरक्षन अधिनियम की धारा ४३ में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य शासन ने अभी विभागों से निगम-मंडलों के लिए प्रस्ताव मांगा है। उनका परीक्षण कर यह नैयायिक संदेह या इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। फिलहाल जानकारी इतनी जो रही है। राज्य में छत्तीसगढ़ अधिवोषिन्नाता विकास निगम का गठन हो सकता है। राज्य का यह पहला निगम है। राज्य काल्पनिक निगम के विभाजन के लिए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन के मध्य सहमति हो चुकी है। छत्तीसगढ़
गांव 'भोजपुरीक विकास निगम' का गठन भी झय है। आपसी समझौता से दोनों निगम आंतरिक में आ रहे हैं। इसमें फिलहाल विवाद सामने नहीं आया है। राज्य में 'भोजपुरीक विकास केंद्र' निगम का नाम तब्दील कर छत्तीसगढ़ राज्य और भोजपुरीक विकास निगम किया जायेगा। मध्यप्रदेश से विविधता सहभागी के बाद देनदारियाँ तय की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पूरा दोहराया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच बिजली बंदवार के मुद्दे को आपस में मिल बैठक सुलगी लिया जायेगा। बिजली बंदवार को तंगता अवस्थान में जाने की बात से इनकार किया।

मध्यप्रदेश विभुति मंडल के बंदवार का काम अब केंद्र सरकार का उर्जा मंडळ करना। यह फेसला मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच आस्था के बीच हुए एक समीक्षा में लिया गया।

छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने अपना पता रखते हुए बताया कि उन्हें देनदारियों और संपत्तियों के बारे में मध्यप्रदेश सरकार से अब तक संस्थान जानकारी नहीं मिली है। समीला बैठक में विभिन्न निगम मंडलों की संपत्तियों के बारे में कोई दोस्रा फेसला नहीं लिया गया है। केवल मध्यप्रदेश विभुति मंडल के बारे में यह निर्णय लिया गया है कि बढ़ते विवादों के कारण अब बंदवार को यह विभिन्न विभाग केंद्र सरकार के गृहपूर्व कर देनी चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने मध्यप्रदेश के विभिन्न निगम मंडलों के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधियों की भी आमने करने का गांग रखा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव (राज्य प्रशासन) के पह.भवन के अनुसार नियमांतरण बंदवार के लिए अभी काफी समय है। बंदवार की प्रक्रिया 6 नवम्बर 2002 तक पूरी करनी होगी। मध्यप्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2002 तक बंदवार की प्रक्रिया पूरी करने को कही है।

बिजली के मुद्दे पर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच टकराव को कम करने का आगाम नहीं है। उन्होंने मंत्री हुकुम सिंह करा ने राज्य विधानसभा में ये गुजरा आयोग लगाया कि छत्तीसगढ़ विभुति मंडल ने म.प्र. विभुति मंडल को ७३५ हज़ार मंगों की गाझ। अब यह मंडल जेन ली है।
छत्तीसगढ़ राज्य विवृति बोर्ड और म.प्र. विवृति मंडल के बीच सात सी कंग्रेस राजनीति का मामला उल्लेखित जा रहा है। राज्य कुर्ट्स्रिया के बाद छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच सबसे पहला मतभेद विवृति मंडल के विभाजन को लेकर पैदा हुआ था। यह भी जाना रहा कि सुलझा नहीं पाया है। छत्तीसगढ़ राजस्व ने एकताफा केसला लंगे हुए पूर्व क्षितिज मंडल का गठन कर नियम था। २५ नवंबर को इसकी सन्दर्भ कर दी गयी थी और मध्यप्रदेश विवृति मंडल ने इस पर कड़ी आपत्ति करते हुए क़रीब सात कंग्रेस सम्पन्न राजनीति के जाने का विरोध किया है।

"सात सी करोड़ रुपये का प्रकरण अब तक केन्द्र सरकार के पास नहीं है। सात सी करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ शासन से वसूल करने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय से सम्पर्क किया है।" उन्होंने अभियुक्त बाद में जारी होने का बयान देते हुए कहा है कि यह राष्ट्र मध्यप्रदेश को महत्व देंगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद थी चन्द्रेश्वर साहू ने केन्द्रीय उंची मंची की प्रति लिखित आवाह किया है कि अभियुक्त ने तारीख बदलकर १५ नवंबर की जाए, ताकि सात सी करोड़ रुपये गजब का मामला सुलझा सके। उंची मंची ने सकारात्मक

उपरोक्त देखी बिश्वास करने का काम निवारित दिया है। इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन ने तकनी तंग फर्द नहीं हो जा रही है। इसके अभियुक्त में मध्यप्रदेश अपना फसल मजबूत नें बना रहा है। विशेष उल्लेखनीय है कि विवृति मंडल की समीक्षण के बंटियां में भी छत्तीसगढ़ को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आबादी के अनुसार भी इस राज्य की ३२० प्रतिशत संपत्ति भिंतिए चाहिए थी। मगर इसका प्रतिशत नी का आंकड़ा ही पार कर सकता है। इस स्थिति को देखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राजस्व को दिल्ली में राजनीति के मामले में ढोंग पलट करनी चाहिए। अन्यथा राज्य का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य विवृति मंडल के अध्यक्ष पवन सचिव ने जब से विवृति मंडल की बागिदार संभाली है, विवृति मंडल को प्रामाण्य देने वाले राजनीति में ३० करोड़ नम्बर घटक आई है। विवृति मंडल को प्रामाण राजनीति २२० करोड़ में कम होकर ३५० करोड़ हो गया है। इसी तरह विवृति आधिकारिक वाणिज्य राज्य छत्तीसगढ़, मंडल के
तियुत मंडल के बंटवारे का विवाद एवं निष्पादन

म.प्र. विद्युत मंडल की सम्पत्ति और दायित्वों के बंटवारे को लेकर कानूनी विवाद में उन्हें म.प्र. और नवम्बर छत्तीसगढ़ के बीच इस मुद्दे को लेकर शीतलिक दर्शक के ओर ठंग होने का आसार है। म.प्र. में विद्युत संयंत्र लगाने की इच्छुक कृत्रिम कम्पनियों द्वारा खनन ही में यह इलाज कराने हुए मंडल में तौर पर गृह निधि के रूप में जमा की गई तिर्थ। करंबों आगरा सारे करोड़ रुपये की राशि वापस लौटाने की मांग की। मंडल के सुझावों के अनुसार इस राशि में से करीब 19.3 करोड़ रुपए उन कम्पनियों ने मांगे हैं। वर्तमान विवाद लगाने की थी।

गांव आर्थिक रैकेट में फंसे म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा एक प्रमाणित देने में असमर्थना जताने पर ऐसी आठ कम्पनियों ने पूर्व में मंडल के साथ हुए 'अपने करार को रद करते हुए' जमा की गई सुनका निधि लौटाने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर मुख्य मंडल सरकार ने हाईकोर्ट में भी अपील की है। राज्य सरकार की मुख्य आरोग्य बांड बात पर है कि केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की पृथक मंडल के रूप में मान्यता की गई है जबकी छ.ग. विद्युत मंडल के उस अवधि के पहले के बितती बिनों के पुष्टिता के करंब सारे सारे राजस्थान की राशि अपने पार हो गया नज़र आता है। अगर इस राशि को दोनों के बीच सुलभताते ही होता है 19.3 करोड़ रुपए तीनों में से फूड को इनकी राशि लौटने की दिशा में भी पहल की है। ऐसी ही एक कम्पनी ज.ब.एन. की कुल 12.83 करोड़ की गाथि में से चार करोड़ रुपए लौटा दिये हैं।
उच्च दाब बंटवारे

लेखको को लेकर म.प्र. विश्वु बंडल और छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड के बीच उच्च दाब विचुत उपभोक्ताओं को अच्छा खासा परिसरी में बांट दिया है। पूर्व में करारामा का जिक्र करते हुए म.प्र. विश्वु बंडल नहीं, उच्च दाब उपभोक्ताओं को देने की राशि सीचे जबलपुर में जमा करने कह रहा है, यदाचा छ.प्र. राज्य बिजली बोर्ड राशि यहां जमा करने और न करने पर परिणाम भुगतान की चेतावनी दे रहा है। जानकारी है कि उच्च दाब विचुत उपभोक्ता अकेले भिलाई में प्रतिमाह कांग्रे राशि का भुगतान करते है।

म. प्र. विश्वु मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ के उच्च दाब विचुत उपभोक्ताओं से सीधे विचुत देयबंग जबलपुर में मुक्त करने के लिए आदेश जारी किया गया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड बने भी इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पर जारी कर कहा है कि वे यहां की देयबंग को यहां जमा करवाये अन्यथा अगली लिया हेतु तैयार रहें। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 फरवरी 2009 को म.प्र. विश्वु मंडल द्वारा ए.प्र. 05-01/एसटी/1920 में मांगे के उच्च दाब विचुत उपभोक्ताओं से कहा गया है कि चूकि आपका म.प्र. विश्वु मंडल के साथ अनुमान हुआ था, तत्पर आपके द्वारा जो राशि विचुत देयबंग के विचुत छत्तीसगढ़ सीचे बिजली बोर्ड जमा की जा रही है। यह आर्थिक सावधानिक है। इसलिए बिजली बोर्ड के भुगतान देयबंग में मुक्त नर्तकी की जा रही है। इसलिए बिजली बोर्ड के भुगतान में मुक्त नर्तकी की जा रही है। इसलिए बिजली बोर्ड के भुगतान में मुक्त नर्तकी की जा रही है। इसलिए बिजली बोर्ड के भुगतान में मुक्त नर्तकी की जा रही है। इसलिए बिजली बोर्ड के भुगतान में मुक्त नर्तकी की जा रही है। इसलिए बिजली बोर्ड के भुगतान में मुक्त नर्तकी की जा रही है।
विद्युत चोरी एवं नए मीटरों से उपजी कठिनाईयाँ

मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा राज्य उपक्रम-मध्यप्रदेश विद्युत मंडल आजकल आम नाराजगी की शिक्षा में है। घोषित बिजली कटोरी, बंदूक वर्ज़े और अथवा बनेक आउट को नी सहायतक लॉक जैसे-जैसे शीतल रहे हैं, लेकिन जब वर्षौं से लगे इलेक्ट्रॉ-मैक्वाटिक मीटर जिसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया जाना और उपभोक्ताओं से एक हजार से तीन हजार की जबरिया बसूनी करने का सिलसिला शुरू हुआ, तो लोग काफी उठे। 1997 में बन्दूक में आए मध्यप्रदेश विद्युत मंडल ने विगत चार वर्षों में नुमा काम किया है, इसमें शक की गुंजाई नहीं है। उसी का यह प्रतिफल रहा कि गुरुः से बस्तर तक फिले इस भू-भाग में 95 ग्राम भाग में रोशनी पड़ी, लेकिन आज उनकी बदलाली के लिए अगर राज्य सरकार की जिंदगी सरकार जारी, तो अथवा नहीं कोई। कस्तूर: यह संस्था घाटे में इसलिए बड़ी कि इसका आयोजन, व्यवस्थापन, कार्यालय, दिन-ब-दिन राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से बिगाड़ा गया।

कंगाड़ा सरपंच की खरीद और ठेके में गड़बड़ी और भस्माचार। किसानों और गरीब सोकर मुलर बिजली के नाम पर चोरी का व्यापार। अथवा करों को उपक्रम-सरकार के राजनीतिक और भौतिक के व्यवसाय-सरकार में फिलूदखार का भांड़। बिजली की बहुता जारी। स्थिति को एनआरसी करने के बजाय मंडल. के मान पर सरकार जब बन जाए दाता, तो कम्युनिस्ट पक्ष हो बनाया। एक ठीस निररत पर खड़ी हुई यह संस्था घाटे में दबाव गई और शोधनीय स्थिति में पहुँच गई। बड़े उद्योगों और बीमार क्षेत्रों में बिजली के दाम बढ़ने नहीं कर, पाया विद्युत भारत, आई आ गई सरकार। जब सरकार फैलावर हो तो फिर मंडल विद्युत के भी वर्षों न उदार हों। बड़े उपभोक्ताओं को उपक्रम करने में उनको नाम, उनका भाला, मंडल का बढ़ा गर्दा होता है, तो हो।

दो वर्ष में छत्तीसगढ़ बनाने की तैयारी चल रही थी और उसके निर्माता है। मध्यप्रदेश में आते वाहनों की दूर करने का प्रयास न करें। छह-छह रात हों चुके
है निर्माण क्षेत्र को योजनागत सिंचाई करने के प्रयासों के अंतर्गत कृषि और जलवायु विश्लेषण के अन्दर, उनके निर्माण में अनेक विभिन्न विषय निश्चित ही चित्रा उत्पन्न करने वाली रहे, कारण विषय विनियोजन तथा विकास का पूरा दायित्व रहा है। अनेक सभ्यताएं के ही नहीं, बल्कि विश्व के लगभग सभी विकसित मंडलों का हाल कमीजोशी जताया है। नीचे योजना के अंत तक राज्य की विद्युत मंडल का पाटा 28000 करोड़ रुपए होना है और उनके केन्द्र का 35000 करोड़ रुपए का अनुप दर्जा है। इस स्थिति से चित्रित होना स्वाभाविक था। तीन वर्ष पूर्व उर्जा वा केन्द्रीय विद्युत विभाग ने इस ओर विशेष ध्यान दिया गया। योजनाक्रम भोजन, विश्लेषण, उठान क्षेत्र के सुधार, विद्युत उपयोग में वृद्धि और राज्य मंडलों की स्थिति सुधारने के विनिमय हुए। निष्कर्ष यह था कि राज्य के लिए जल विद्युत की स्थिति को समाप्तित किया जाए, उसी संरचना का नवीनीकरण, विद्युत व्यवस्था संरचना द्वारा परिवर्तन नाइटों का बनाना का कार्य अन्वेषण, पारंपरिक तारीखों की बंद करना, विद्युत वाहनों के अनुपात में बढ़ावा सुधारने लाया गया। किन्तु चारी, नामुमकिन दर्जन, व्यवस्थापन की अलापनता को सुधार और बंधु के पुनर्गठन द्वारा दुरुस्त किया जाए। इसी निर्माण से विद्युत मंडलों के विकास का बात सामने आई, जिसके अनुसार उपयोग, पारंपरिक तथा उपयोग संरचना का काम अलग-अलग एजेंसियों को गोपनीय नहीं है। इन सुधारों की लागू करने और अपनी स्थिति में सुधार लाने पर राज्य की विद्युत मंडलों के केन्द्रीय समूह पारीमें कार्यरत और पश्चिम वेस्ट से आर्थिक सहयोग मिल पाए। देश के चारों ओर की विकास के लिए उनकी उपलब्धता की स्वीकृति आवश्यक है। यह आश्चर्य का किया है कि नहीं उपयोग, पारंपरिक तथा उपयोग के और व्यवस्था दिया गया है, वहां उनकी बहुदी की आर ध्यान नहीं दिया गया है। विषय में गतिविध उनके बतों के केन्द्र के अनुसार यदि इसकी बचत की जाए, तो केंद्र में 30,000 में गृहावात्र विद्युत प्रतिवर्ष किसी नियमों की लिख सकती है, लेकिन विनियोजन के लिए उनकी उपलब्धता की आवश्यकता है। यह आश्चर्य का किया है कि नहीं उपयोग, पारंपरिक तथा उपयोग की और ध्यान नहीं दिया गया है। विषय में गतिविध उनके बतों के केन्द्र के अनुसार यदि इसकी बचत की जाए, तो केंद्र में 30,000 में गृहावात्र विद्युत प्रतिवर्ष किसी नियमों की लिख सकती है, लेकिन विनियोजन के लिए उनकी उपलब्धता की आवश्यकता है। यह आश्चर्य का किया है कि नहीं उपयोग, पारंपरिक तथा उपयोग की और ध्यान नहीं दिया गया है। विषय में गतिविध उनके बतों के केन्द्र के अनुसार यदि इसकी बचत की जाए, तो केंद्र में 30,000 में गृहावात्र विद्युत प्रतिवर्ष किसी नियमों की लिख सकती है, लेकिन विनियोजन के लिए उनकी उपलब्धता की आवश्यकता है। यह आश्चर्य का किया है कि नहीं उपयोग, पारंपरिक तथा उपयोग की और ध्यान नहीं दिया गया है।
किसानों ने खोजा बिजली चुराने का नया तरीका

“कंडेसर लगाओं - खेत के पंप चलाओं”। यह किसी विज्ञापन का स्नेहम नहीं है बल्कि बिजली कट्टरता के दौरान खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए कंडेसर लगाकर दो पंप बिजली को तीन पंप में परिवर्तित करने का नया फायदा है। बिजली कट्टरता से पीछे दिसने किसानों ने सिंचाई हेतु पंप चलाने का नया तरीका मायने निकाला है। इसमें विशेष किश्र का तैयार किया हुआ कंडेसर लगाया जाता है जिसमें दो पंप में प्रदाय हो रही बिजली तीन पंप में परिवर्तित हो जाती है।

इसमें 3 चुप्पी से 17 चुप्पी तक की मोटरें चलायी जा रही है। बड़ी चार रोड़ पर से चार हजार तक के इन कंडेसर की कीमत रही है। मैकेनिक कंडेसर लगाने के पूर्व लगाए जा रहे किसान के खेत रोलर्स के प्रवाह को नापते हैं और फिर प्रवाह के पानी के आधार पर आंशिक चार पंप चलाने साधारण कंडेसर की मोटर की क्षमता, उसके हारे पावर के अनुवाद क्वाड्रेन को बढ़ाना जाता है। इसकी क्षमता वोल्टेज प्रवाह के अनुवाद निर्धारित की जाती है। जीन फेस विच्छ प्रदाय में दो फेस 220 वोल्टेज प्राप्त क्यून 4410 वोल्टेज के होते हैं। प्रतिबंधित समय में एक फेस 220 वोल्टेज
का चालू रहता है। लगाया गया कंडेसर इस 220 बोल्टेज को 440 बोल्टेज के अनुरूप परिवर्तित कर बिजली मोटर को देता है। इस नए फार्मूले से किसान को जहाँ लाभ मिला गया है वहीं नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लोड के विचलन होने पर मोटरों का नजर नहीं है। खेतों की सिंचाई की आवश्यकता की प्राथमिकता के कारण किसान इस वान को उद्गढ़त कर कंडेसर लगाकर बिजली की हैरांकी करने का अवसर नहीं छोड़ रहा है।

किसानों को बिजली की जरूरतों को प्रमुखता देते हुए ग्रामीण इलाकों से अंडरफ़्रीक्वेंसी लिलेज हटाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अब बिजली की अपूर्वत कठोरता नहीं हो सकती। इन रिलेज को शहरी क्षेत्रों में लगाया जा रहा है। बिजली उत्पादन और ग्रंथिीमेंसी से जो हमें बिजली मिलती है उसमें प्रौक्लेशन लोड के समय 1500 से 2000 मेगावॉट की कमी आ जाती है। उसकी पूरी अलग से बिजली खरीदकर या कठोरी करने की जांच करनी है।

जब तक शान के पार बिजली थी किसानों को मुफ्त बिजली दी गई। पहले बरसात के बाद ग्रामीण पर दुर्गमत की काफी शिकार थी। किसानों की पूर्व खजार उत्पादन तक की छुट्टी दी गई थी, लेकिन 10 से 15 हजार महर्षिलावर तक की मोटरों लगाकर फायदा लिया गया। बारिश नहीं होने के कारण जल पर आयातित बिजली तरीकों बंद पड़ी थी। बारीक, गाँवसागर, पौंछ एवं गाँवसागर बांध परियोजनाओं से हमें 800 मेगावॉट बिजली मिलती थी। अब यह नहीं मिल पा रहे हैं। 30 प्रतिशत बिजली का उत्पादन म.प. एवं 30 प्रतिशत छात्रावास में होता है। नीचे बिजली की 90 प्रतिशत खपत मथ्यांशमहत एवं केवल 10 प्रतिशत छात्रावास में होती है। इसी संकट के कारण मुफ्त बिजली नहीं देने का फैसला लिया।

मथ्यांशमहत बिजली मंडल ने संभागीय मुख्यालयों पर एक घंटा बिजली कठोरी करने का निर्देशन लिया है। कठोरी का निर्णय बिजली संकट और ग्रंथिीमेंसी के एक आंदोलनभाज के कारण लिया गया है।
दो बिजली घर विरसिंहपुर गांव अमरकंटक में तकनीकी कारणों से बिजली उत्पादन कम होने से बिजली संकट गहरा गया है। कटोटी की एक अन्य बजाय पांडीपीसी की ११०० क्वोट से बढ़ावा राशि को लेकर पांडीपीसी ने मंडल को आवेदन भेज दिया गया है। इससे चिंतित मंडल ने बिजलीघरों के भार को कम करने के लिए कटोटी करने का निर्णय लिया है। सूखे के कारण पानीबिजलीघरों के बंद होने से भी बिजली संकट बढ़ा है।

प्रदेश में बिजली की कुल मांग ४५०० मेगावाट है। लेकिन इन दिनों मंडल कुल ३५०० मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहा है। इसमें पांडीपीसी की ११०० मेगावाट बिजली भी शामिल है। फौजी में रोजगार १५० मेगावाट बिजली खर्च हो रही है। पांडीपीसी ने मंडल को सूचित किया है कि अतिरिक्त रूप से वह मंडल को बिजली उपलब्ध नहीं कर सकता है। इसके पीछे कोर्टस की कमी को पांडीपीसी ने मुख्य कारण बताया है।

अतिरेक विषुवत बचत फिर भी कटोटी का प्रश्न?

प्रदेश में बिजली का उत्पादन सरलस होने के बाद भी राजधानी को ही पार्षद बिजली नहीं मिल पा रहा है तब शेष प्रदेश का क्या हो रहा होगा। प्रदेश में विषुवत खपत की तुलना में वो-ढाई सी मेगावाट अतिरिक्त विषुवत पैदा होती है। तब बिजली कटोटी का उत्पादन पूर्णतया समाप्त होना चाहिए।

प्रदेश सरकार ने श्रोता की गरीब को प्रदेश में विषुवत की विषुवत उपलब्धता के चलते उपभोक्ताओं को चीनी घर विषुवत मूल्य वापस पर देने के विरोध वाले को शासन छत्रिसमाध की जनता के साथ सीलित व्यवहार कर रही है। बिजली एक अत्यन्तप्रकाश सुविधा वर्तमान जिसे उपभोक्ता नागरिक को मत आदर्श बना कर सकता है। विषुवत उत्पादन व वितरण में प्रदेश की जनता का पैसा लगाया है। अतः उसे सुविधा व सेवा से विचार करना अपराध है।
विश्वसनीय मंडल को विभाग के ही कुछ कर्मचारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। मंडल राइस मिल और अन्य आधुनिक संस्थाओं में छापे मारकर बिजली चोरी तो पकड़े मगर पहले ऐसे लोगों को पर कार्यवाही जरूरी है जो बिजली चोरी को शाह दे रांगे हैं।

नगर के बिजली विभाग में कुछ सहायक यंत्री और अन्य कर्मचारी लोगों का बिजली चोरी के लिए उकसा रहे हैं। क्षेत्र के राइस मिलों के लाभ ही अन्य कुछ उद्योगों में अस्स बिजली चोरी धड़ले से की जा रही है। जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग के अधिकारी छापा मारते हैं तो उन्हें कुछ खास नहीं मिलती।

यहाँ प्रदर्श अनेक उपयोगियों, सहायक यंत्रीयों ने कुछ साल रहकर ही लागों की आयोधित सम्पत्ति जमा कर ली है। इसके पीछे क्षेत्र के उद्योगियों की बहिष्कारक विभाग को करोड़ों का चूँका लगाना है। वर्तमान में विभाग द्वारा इलेक्ट्रानिक मीटर का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे उपभोक्ता दशक में है। वहीं अनेक विभागीय कर्मचारी-अधिकारी भी चिंतित हैं कि इससे बिजली की खपत का पूरा हिसाब मिल सकेगा और बिजली चोरी करवान में सफल नहीं हो पाएंगे। बताया जाता है कि अपनी औसत खपत को कम दिखाने की मंशा से कई उद्योगियों और प्रशासनिक कार्यों की आड़ लेकर अपने उद्योग बंद किये बैठे हैं।

इसी तरह से इलेक्ट्रानिक मीटर के सहारे बिजली की खपत के अनुसार औसत खपत को मिलाकर पूरा अध्याय हो गया। तो और भी गया हो वास्तव में आयेंगे। ऐसे मीटरों को ताइ खोजने के लिए कई उद्योगियों की विशेषित की सहायता ले रहे हैं।
महंगी बिजली से ६५% बीमार उद्योगों की मौत

बिजली की ऊँची दर छतरपुर जिले में उद्योगों की मौत का कारण बन गई है। जितने में कभी निवेश, उत्पादन और रोजगार की घुमूं रहे उर्जा औद्योगिक क्षेत्र के ६५% फिसली उद्योग आज बंद पड़े हैं। शासन को करोनो के रूप में करोड़ों रुपये का राजस्व देने वाले 'फेलोला' की ११३ यूनिटों में अपना उत्पादन दूसरे राज्यों में शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ उन्हें अपेक्षाकृत सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध है।

बिजली उत्पादन में अभावी और सरलता बिजली होते हुए भी राज्य निर्माण के बाद स्थानीय उद्योगों को कम कीमत पर बिजली नहीं मिल पाने से पूरे उर्जा औद्योगिक क्षेत्र में हाताशा का माहौल है। उर्जा में इस समय कुल २६८ उद्योग बंद हैं। इनमें लाखु एवं मध्यम दोनों तरह के उद्योग शामिल है। बंद उद्योग में सबसे ज्यादा संख्या अधिकता आयाम करारेट फेलोला उद्योग के बंद होने की प्रमुख बजह या यूँ कहे कि एक्सट्रा कारण यहाँ मिलने वाली ऊँची दर की बिजली रही है। फेलोला उद्योग की ११३ यूनिटों में करीब साढ़े छह हजार मज़दूरों की रोजगार मिटा हुआ था। फेलोला उद्योग को २.८० रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली आपूर्ति की जाती थी, जबकि दामोदर वेली कांपोरिशन, रामगढ़ (बिहार) और दुर्गापुर (पं. बंगाल) में २.१५ रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ प्रति एक टन फेलोला उद्योग के उत्पादन में साढ़े सात हजार की अधिक लागत आती है।

एक टन फेलोला उद्योग में ५५ सी यूनिट बिजली की खपत होती है। उर्जा में एक टन फेलोला उद्योग के उत्पादन में १७ हजार ५०३ रुपये की बिजली लग जाती है। जबकि इसी उत्पादन पं. बंगाल में करने पर नी हजार ७७५ रुपये की बिजली खपत होती है।

यह एक उद्वाहरण मात्र है। यही व्यावसायिक मिल सहित बंद होने वाले सभी उद्योगों के मालिकों की है। जैसा क्षतिसमाप्त लाभ एवं सहायक उद्योग संघ के अभाव से हारें। केंद्र द्वारा बताते हैं कि उत्पादन के अन्य घटकों के अनुकूल होने के बावजूद बिजली की बजरंग ने यहाँ के उद्योगों को लाल नियम है। उनसे आशा थी कि
राज्य गठन के बाद सुधार की गुंजाइश बनेगी, पर ऐसा हुआ नहीं और बंड कारखाने के मालिक आज भी बंद पड़ी मशीनों को गति देने के लिए आतुर हैं। श्री केदिया का कहना है कि जब सर्पन्ख बिजली की सस्ती दर पर महाराष्ट्र और बिहार की बेची जा रही है तो, स्थानीय उद्योगों को उस दर पर बिजली आपूर्ति करने में क्या हर्ज है?

इस संबंध में राज्य विद्रोह मंडल के अध्यक्ष गोपाल तिवारी का कहना है कि दूसरे राज्यों में बिजली सौंप उत्पादन करके आपूर्ति की जाती है। इसलिए बिजली बंदन्त्य नहीं होती। इसके अलावा हमें राज्यों को कई तरह की छूट भी नहीं दी जानी पड़ती। स्थानीय उद्योगों को बिजली आपूर्ति करने के लिए उसे कई स्तरों पर परिवर्तित करना पड़ता है। बिजली ५०० किलोवाट में उत्पादित होती है जिसके ३५ केवल के परिणाम करते-करते काफी छूट हो जाती है। इस बाजार से उनकी लागत बढ़ जाती है। दूसरे राज्यों के सीधे ५०० केवल में बिजली तो जाती है। इसलिए उनकी लागत कम होती है। श्री तिवारी का कहना है कि जब हाल ही में बंद पड़े उद्योगों के लिए विशेष पेक्षा दिया गया है। पेक्षा के तहत बंद पड़े उद्योगों को ५० पेसे तक की छूट देने का प्रस्ताव है। इस पेक्षा का लाप वहीं उद्योग उठा पायेगा जिनका करता रहा स्थायी मध्य से काटा जा चुका है। श्री तिवारी के अनुसार बंद पड़े हुए उद्योगों में कुल २३३ मेगावाट बिजली का उपयोग होता था, यानी जिन बिजली राज्य में सर्पन्ख है, उनमें उपयोग बंद उद्योग करते थे।

उल्ला इंडस्ट्रीज एशियाई शाखा के आयकारी आध्यक्ष जी.के.अर्यावत के अनुसार जिन्हीं सर्पन्ख बिजली राज्य में हैं, उसका आधा भाग बंद पड़ी उसला शिथिल फेरोलायजन और रेलिंग मिले उपयोग करती थी। अब फेरोलायजन की १२ युनिटें ६५ मेगावाट और रेलिंग मिले ७० मेगावाट बिजली के उपयोग करती थी। अगर बिजली सस्ती दर से जाए तो सर्पन्ख बिजली को दूसरे राज्यों को बेचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी।

एशियाई शाखा के अध्यक्ष मंशा कहकर बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने उच्चाद्वार उपयोगकर्ताओं का विचार दर आवस्था खट्टे के ऊपर २.८० रुपये प्रति यूनिट उपलब्ध
राज्य विद्युत कर्मियों को आर्थिक संरक्षण : एक आवश्यकता

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ ही साथ सरकार ने संकारात्मक एवं लघुप्रति निर्माण लेने गए, राज्य विद्युत मंडल का गठन किया। उससे न केवल राज्य के राजनीति में बृद्धि हुई, अभिनव प्रदेश के विद्युत उपयोगकर्ताओं की आर्थिक मा गई महत्वपूर्ण है। इसी अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं कर्मचारी दिवों पर अब तक नियममें निर्माण से विद्युत मंडल के कर्मियों को लगाते लगा कि पूर्वकाली सरकार द्वारा किए गए अनुमोदन के कर्मियों को एक बायोवायो बदल स्थायी नेता को अपने बदल में पाया है। इसी से अभिलेख होकर अनेक कर्मचारी संगठनों ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कर्मियों को होने वाले आर्थिक एवं मुक्तिजोतिमा से शार्त का ध्यान आकर्षित कर मुक्तिजोतिमा जी से हेतुक्षेप कर आर्थिक संरक्षण का आग्रह किया है। नये राज्य, नये शासन व्यवस्था में विद्युत मंडल कभी नहीं हुआ जहाँ से नये संकाल के साथ जमीन से जुड़ी तथ्याचारों और संस्थाओं को हन करते हुए राज्य के विद्युत कर्मचारी को एक अनाम देना चाहते हैं। इस जन्तुत्स है श्रमशास्त्र का विद्भार एवं संरक्षण की, जबकि कभी अपने कर्मियों को गुणों में निरंतर पूर्वुक्त कर सके।

प्रदेश में विद्युत उन्नयन विकास का यात्रा १९१६ में ८३.५ गेमावाल क्षमता के साथ प्रारंभ हुई और आज विद्युत उत्पादन १३६० गेमावाल तक पहुँच चुकी है।
उन्हीं अनुसूचि वर्तमान में विचुरु उपभोक्ताओं की संख्या लगभग १८ से १९ लाख तक जा पहुँची है। राज्य विचुरु मंडल लगभग ७५ हज़ार कृषि उपभोक्ताओं को कनेक्शन मुफ्त बांटने के बाद भी मंडल को अनुमानतः १६० करोड़ सुभय राजस्व प्राप्त होती है। वहीं कर्मियों के वेतन आदि में मासिक २० करोड़ रुपये खर्च होते हैं। दरअसल आर्थिक मामलों में मंडल कर्मी आज भी उपेक्षित है। सात हो वर्तमान में छठीसगढ़ विचुरु मंडल में १,७०० कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं जिनमें करीब पांच हज़ार कर्मी पाकर प्लांट में और लगभग इतना सी कार्यालयी सेवा में। एक हज़ार लाइन मेन्टेनेंस व देखरेख में है। शेष लगभग सात हज़ार तकनीकी कर्मी बंप मास उपभोक्ताओं की सीधी सेवा दे रहे हैं। दरअसल विचुरु मंडल अर्थशास्त्रीय संरचना धोने के कारण राज्य सरकार द्वारा पूरा स्थापना व्यवस्था से संबंधित सारे नियम व आदेश यहाँ लागू होते हैं। विचुरु कर्मचारियों को जनवरी २००० से एक प्रतिवर्ष महंगाई भाव के परिवर्तन एवं जूनियर २००० से ३ प्रतिवार्षिक महंगाई भाव तथा जनवरी २००१ से केन्द्र द्वारा घोषित २ प्रतिवार्षिक महंगाई भाव के भुगतान लिखित है। म.प. विचुरु मंडल द्वारा संचालित की आयु ६० वर्ष से ५८ वर्ष की आजने से छठीसगढ़ के कर्मियों में बेहद असंतोष व्यास है। वहीं कुछ कर्मचारी प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि म.प. विचुरु मंडल अपने आदेशों को छठीसगढ़ विचुरु मंडल बोर्ड मीटिंग के बिना समीक्षा किये पालन कर रहा है। म.प. विचुरु. ने अब अपनी आर्थिक स्थिति का बयान देते हुए कर्मचारियों को देय 'उच्च केंद्र मान्य' रोके जाने का निर्देश निया है।

छठीसगढ़ में इस निर्देश को लागू करने के पूर्व राज्य विचुरु बोर्ड की मीटिंग में समीक्षा व विश्लेषण किया जाकर ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार कर्मियों के भवत्य निदेश पर रोक, अवकाश, न्यायिक्य, अन्तर्विद्या.पर बंदिशों आदि के सकारात्मक निर्देश निया जाना आवश्यक है। भवत्य निदेश पर रोक एवं आर्थिक सुविधाओं पर रोक बंदिशों से कामगारों के हितों पर उठाया तथा उनके अधिकारों का हनन प्रतिहार होती है। यह भी एक विचारार्थ मुद्दा है कि राज्य के शहरों, तहसीलों एवं ग्रामों में प्रकाश की व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक उज्ज्वल में विचुरु कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ग्राम्यांचलों में विचुरु कर्मियों एवं ग्राम
अर्थव्यवस्था के विविध पक्षों की विचरण कर्मियों ने अत्याधिक प्रभावित किया है तथा विकास का नया मार्ग प्रशस्त किया है। इसी कारण बेरोजगारी तथा भूख की शिकार ग्राम्य आवादी का शहरों की ओर जाने वाला लम्बा कालिना भी कम हुआ है। विचरण कर्मियों में आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त माध्यम सिद्ध हो चुके हैं। श्रमीण सम्पत्ति और संस्कृति को बर्तमान के प्रगतिशील धरातल पर पहुँचाने का श्रेय हमारे विचरण कर्मियों को भी जाता है, ऐसी स्थिति में इन्हीं मूलभूत समस्याओं को अनेक बीता। जाना क्या न्यायोपन्न है? बहुराज आप नये राज्य के नये परियोजने में विचरण कर्मियों के सामान्यकृत तथा आर्थिक प्रभाव की ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान संविदाशील शासन प्रदेश के जन-जन संपत्ति कल्याणकारी योजनाएं बनाकर लागू कर रही है। आजादी के पाँच दशक बाद भी विचरण मंडल का श्रमिक कर्म आज जिन समस्याओं से जुड़ा रहा है उनसे विशेषकर आर्थिक एवं सुरक्षा के मामले पर, उन्हें समझने की कोशिश किये बिना उनका समाधान खोजना संभव नहीं है। बेशक आज विचरण बोध कर्मियों की सुरक्षा तथा दृष्टिकोण के बचाव आदि पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं किन्तु ये प्रयोग नहीं है। वर्तमान स्थिति पर आप्रवाशिक हिन्दुस्तान सेवा की अन्तर्खली कर कर्मचारी कल्याण की डाली-बड़ी बात करना बेमान यो जाता है। कर्मियों को अपने उत्तराधिकारियों का कुशलतापूर्वक निवारण करने में उनकी वर्तमान समस्याओं, फर्शाऊंकियों तथा तनावजन्त परिस्थितियों की समझते हुए शासन की विशेष ध्यान देना होगा तथा समस्याओं का समाधान भी खोजना होगा।

छत्तीसगढ़ विचरण मंडल द्वारा पिछले कुछ समय से म.प्र. विचरण मंडल पर कर्मचारी, फर्शाऊंकियों एवं सम्पत्ति के बंटवारे के लिए निरंतर मांग की जा रही थी। इस समय हस्ताक्षरण के लिए कोई फायदा तय न हो पाने की कहर से म.प्र. विचरण मंडल द्वारा ही वाणिज्य में जा रही थी। फारसी राज्य तय हो जाने के बाद जब कर्मचारियों के जाने का संस्थापन शुरू हुआ तो नए राज्य के अधिकारियों ने उनकी सेवाएं लेने से अंकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि कुछ कर्मचारी संहिता में से सूचना २६ प्रतिशत कर्मचारी नए राज्य की हस्ताक्षरित होना है। उसी के तहत म.प्र. ने पहले आश्वासन प्रदेश वाने कर्मचारियों का भेजने का संस्थापन शुरू किया। छ. ग. मंडल के रूपों के अनुसार अभी उनके प्राप्त कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था न होने की बजाय से वे नए कर्मचारियों को लेने के मूड में नहीं है।
रायपुर क्षेत्र

रायपुर जिला

रायपुर म.प्र. के १९७८ तक सबसे बड़े जिले के नाम से जाना जाता था। तब इस जिले का क्षेत्रफल ११.७२४ वर्ग मील था। १९८६ में जब दूर्ग जिला गठित हुआ तब रायपुर जिले का ३.४६२ वर्ग मील का क्षेत्र दूर्ग जिले में मिला दिया गया और ७०० वर्ग मील का क्षेत्र बिलासपुर जिले से निकालकर रायपुर जिले में आमंत्रित किया गया। इससे महानवी और रविवार रायपुर जिले की सीमारेखा बन गई। सन १९३२ में रायपुर जिले का १.४३२ वर्ग मील क्षेत्र उड़ीसा प्रदेश में शामिल कर दिया गया। सन् १९४१ और १९५१ की जनगणना में जिले का क्षेत्रफल ८.२०५ वर्ग मील दर्शाया गया है। समाधान जाता है कि आंकड़ा का यह अंतर कई बार किया गया सव्वे की बजह से है। रायपुर जिले की सीमा बिलासपुर, रायगढ़ और बस्तर जिले से म.प्र. में और कालाहारी, सम्मतिपुर कोरापुट जिले में उड़ीसा से जुड़ी हुई है। वर्तमान में धमतरी व बाहुसमुंद को पृथक जिले का दर्जा दिया गया।

दूर्ग जिला-

दूर्ग जिले का निर्माण १९८६ में हुआ जब दूर्ग तहसील के साथ एक विभाग और धमतरी तहसील का कुछ भाग अलग नए जिले में मिला गया। इसी कृत्रिम जिले का कुछ इलाका भी इसमें शामिल किया गया। पुर्नागढ़ में ३,५३२ वर्ग मील का क्षेत्र बिलासपुर जिले से भाग लिया गया। सन १९६६ में चावा जमींदार का १९ वर्ग मील का क्षेत्र भी दूर्ग जिले को हस्तांतरित कर दिया गया। रियासतों के विलितकरण के समय खेरागढ़, कर्वी, राजनांदगांव और छुईखण्ड की रियासत दूर्ग में विलीन हुई। यहीं १९७२ में भोगल दोकर राजनांदगांव जिले में चली गई। सन १९७२ में ८ वर्ग मील, खेरागढ़, कर्वी, राजनांदगांव, खेरागढ़, कर्वी आदि विभाग खंड आते हैं। वर्तमान में कर्वी को पृथक जिले का दर्जा दिया गया है।

राजनांदगांव जिला-

सन १९७२ में राजनांदगांव जिले का पुनर्गठन हुआ। जिसके भीतरिक क्षेत्र ५.२२ वर्ग कि. मी. है। जिले के अंतर्गत कर्वी, खेरागढ़, राजनांदगांव, दोंगरागढ़, मोहन टाट, दोंगरागढ़, अंबागढ़ चौकी और तहसीलों के अंक राजनांदगांव, दोंगरागढ़, छुईखण्ड, अंबागढ़ चौकी, मानपुर, मोहनटा, दोंगरागढ़, खेरागढ़ छुईखण्ड, गहसुपुर, तोहराराम, कर्वी, बॉड़रा आदि विकास खंड आते हैं। वर्तमान में कर्वी को पृथक जिले का दर्जा दिया गया है।
जिलावार विच्छुद्ध विकास-

रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत जाने वाले पूर्ववर्ती तीन जिलों में ग्रामीणों विच्छुद्धीकरण, विच्छुद्धीकृत पांप, एकल बती व कुल उपभोक्ताओं की प्रगति की स्थिति निम्नानुसार हैः

के. जिला कुल उपभोक्ता एकल बती विच्छुद्धीकृत ग्रामों कुल ग्रामों में उनकृष्ट पांप की संख्या विच्छुद्धीकृत ग्रामों (संख्या) का प्रतिशत

1. रायपुर 497871 394357 23128 876753 16.61
2. दुर्ग 317676 73726 1587 98.00 19.298
3. राजनाबागांव 172848 48207 19.10 98.830 8.770

क्षेत्र- विच्छुद्ध सेवा 1999, पृष्ठ-क्रमांक-22

नगरीय विच्छुद्ध प्रणाली का उत्तरायण सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से संचालित विच्छुद्ध विकास कार्यक्रमों की प्रगति-

रायपुर क्षेत्र में वर्ष 1997-98 की बारिशक योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अंतर्गत 71 ग्रामों का विच्छुद्धीकरण 3583 कृषि पांपों हेतु लाईन विस्तार कार्य तथा 3313 कृषि उत्पादक फसलें किया गया। 31 मार्च 1998 तक क्षेत्र में 9130 ग्रामों का विच्छुद्धीकरण किया जा चुका है। जिससे ग्रामीणों विच्छुद्धीकरण का स्तर 93.88 प्रतिशत हो चुका है। अन्य योजना के अंतर्गत रायपुर शहर के निर्देशानुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपभोक्ताओं तथा गार्दी रेखा के नीचे जीवनवायुपक बने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को एक बती केन्द्रक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई है। इस प्रकार उपरोक्त क्षेत्रों में आने वालों ग्रामिणा बीयों को जिनके घर मंडधर्म की निम्न दाबी लाईन से 30 मीटर या उससे कम दूरी पर है, उनसे स्वीकृत केन्द्रक्षण चार्जेस तथा सुरक्षा निधि जमा कराए बंगाली बिना मीटर के केन्द्रक्षण प्रदान किया गया है। यह सुविधा शहरी क्षेत्रों में बुरी डॉल्टी रहस्यात्मक जिनके पास अस्थियां/स्थाई पांडे हों अथवा ऐसे समस्त परिवार जो गर्जवी रेखा के नीचे हों, को प्रदान की जा रही है। वर्ष 1997-98 के लिए कुल लाख 47,000 एक बती केन्द्रक्षण दिये गये तक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके प्रतिपेक्षा 30,980 एक बती केन्द्रक्षण प्रदान किए गए, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2470 एक बती केन्द्रक्षण दिये गए हैं।
संख्या २८२३८ हो गई जिसमें २७२७६४ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा ३९६०४ साइवरी क्षेत्र में थे।

वर्ष १९९८-९९ के ग्रामीण विचुतीकरण कार्यक्रम में ३ ग्रामों, २५ मजदूरों एवं १०३७ पंपों के विचुतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें से ३ ग्रामों, २२ मजदूरों एवं १९१७ पंपों के विचुतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है वर्ष १९९८-९९ हेतु ५२७०० एकल वस्त्र क्षेत्रक्षण के अन्तर्गत ५८८५८ एकल वस्त्र क्षेत्रक्षण स्थिर रहे हैं। पी.एफ.सी. नेतृत्व के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग विभाग तथा राजनादगंव शहर में नगरीय विचुति ग्रामीण उद्योग का कार्य अतिम चरण में है, जिससे इन नगरीय क्षेत्रों में उप परेशान एवं विचरण ग्रामीणी में सुधार हुआ है। फलतः विचुति क्षति तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों में कमी आई है।

परेशान एवं विचरण लाइनों तथा उपकरणों की संख्या-

वर्ष के अंत तक मित्र. टी. (उप-परेशान) एवं एम. टी. (विचरण) लाइनों की संख्या २९६१३ एवं ९०८८९ सर्किया कि. मी. थी। साथ ही ३२/१ के. व्ही. शमीता के कुल ट्रांसफार्मर्स की संख्या १३० (शमीता ७७८ एम. व्ही. प.) एवं विचुति ट्रांसफार्मर्स की संख्या १००१६ (शमीता ९७८ एम. व्ही. प.) थी। वर्तमान में दुर्ग १३२ के. व्ही. उपकरण का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे सर्किया प्रदान करने पर दुर्ग शहर और आस-पास के क्षेत्रों के उप रेषान प्रशासनी व वॉल्टेज में सुधार के साथ-साथ विचुति प्रदाय की वेश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी।

माही चुनौतियाँ-

वैसे तो छतीसगढ़ की मुख्य फसल धान है, जो कि सामान्यतः अगर वीसम रोई सजी है, परंतु विकास लगभग १०-१५ वर्ष में रबी की फसल के रूप में धान बोई ना रही है। रबी की फसल में खरीब की तुलना में धान की फसल की पैदावार अधिक होती है। अतः ग्रीष्म ऋतु में की जाने वाली धान की खेती का शेषफल प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। धान की इस फसल में १०-१५ से. मी. तक जल का स्तर खेतों में रखना प्रावश्यकता है। जिसके कारण फसल के समय प्रतिदिन १०-१५ पंट का विचुत प्रवाह जो सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु दिया जाता है यहाँ के लिए अपराध है।

प्रस्तुत: सामयिक को छोड़कर कम से कम २० पंट अनवरत विचुत प्रवाह की आवश्यकता होती है। इस फसल की बोआई माह जनवरी से होती है तथा मई तक इसकी कटाई की.
रायपुर जिले के बसना सरायपाली श्रेणी में महास्थान १३२ भवनों से विविध प्रदाय होता है। ३२ के लाख लाइनों का समावेश १६८ से १८५ कि.मी. का क्षेत्र जोने के कारण बसना सरायपाली क्षेत्र में वोल्टेज की कमी की समस्या है। तत्कालिन रुप में ३३ के लाख बुलढान लगाने पर आर्थिक रूप से समाधान हुआ है। परंतु समाधान वोल्टेज भवन भवन में १३२ के लाख उपक्रम का निर्माण आवश्यक है। वर्तमान में कार्य क्षेत्र में सिमाना से ६५ कि.मी. लंबी १३२ के लाख लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण कर ३३ के लाख में चार्ज कर विविध प्रदाय किया जा रहा है।

जिससे पंडरिक क्षेत्र में वोल्टेज की कमी की समस्या आ रही है। अतः वर्तमान में १३२ के लाख उपक्रम निर्माण कार्य आवश्यक है। जिसके लिए भूमि प्राप्त की जा चुकी है तथा उपक्रम का प्रक्रियालय भी स्वीकृत है।

विशेष उपलब्धियाँ

रायपुर संग्रहण में रायपुर क्षेत्र म.प. के सभी क्षेत्रों में व्यवस्था रहा है। वर्ष १९८४-८५, हैदराबाद के रायपुर संग्रहण के के ५०० करोड़ के विविध रायपुर क्षेत्र का लेख १५१ लाख से २० प्रतिशत से भी अधिक है। शास-प्रतिस्थापन कम्प्यूटरीकृत एल. टी. विलिंग को विभागीय स्तर पर पूर्ण करने में सभी इस क्षेत्र का स्थान म.प. में प्रथम रहा है। इस क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध संस्थानों से ही कम्प्यूटर के माध्यम से एल. टी. विलिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया एवं मंडल द्वारा वाहन एजेंसी से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु किए गए प्रावधान की संपूर्ण राशि की व्यवस्था की गई। वर्तमान में भार एल. टी. विलिंग मंडल एवं अन्य एकाउटिंग के द्वारा एजेंट्स का कार्य वाहन एजेंसी के माध्यम से कराने का प्रावधान होता है।
अंतरिक संसाधनों से ही काराया जा रहा है। इसके लिए मंडल द्वारा इस क्षेत्र को प्रशस्ति प्रदान की गई है। रायपुर क्षेत्र के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के मंडल द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं कार्यों को निरंतर समयावधि से गुणात्मक रूप से पूर्ण करने हेतु तत्पर तथा प्रत्यक्ष उपलब्ध है।

**बिलासपुर क्षेत्र**

म.प्र. बिहार मंडल का बिलासपुर क्षेत्र प्रदेश के पूर्व में स्थित छत्तीसगढ़ अंचल का हिस्सा है। माना जाता है कि लगभग ५५० वर्ष पूर्व बिलास प्रेस्ट नामक मंडल वाले के नाम पर शहर का नाम बिलासपुर दिया। मंडल का बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर राजस्व संभाग की तीना रेखा में कार्यरत है बिलासपुर क्षेत्र १९८९ के पूर्व मंडल के रायपुर क्षेत्र अंतर्गत ही कार्यरत था।

**क्षेत्राधिकार में आने वाला राजस्व जिले, उनका क्षेत्रफल**

क्षेत्राधिकार में संपूर्ण राजस्व संभाग बिलासपुर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में संपूर्ण राजस्व संभाग बिलासपुर क्षेत्र में संपूर्ण अंतर्गत है। जिसका कुल क्षेत्रफल ५५१५६ वर्ग कि.मी. है। जिसमें क्षेत्रों: बिलासपुर जिला १९८३ वर्ग कि.मी., रायगढ़ जिला ५२९ वर्ग कि.मी. तथा सरगुजा जिला २२३७ वर्ग कि.मी. है। म.प्र. शासन द्वारा मार्च ८९ के पश्चात प्रदेश में ९३ नए जिलों को अस्तित्व प्रदान किया गया। इसके तहत राजस्व संभाग बिलासपुर के ६ जिलों यथा बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा को विभाजित कर चार नए जिले बनाए गए है। इस प्रकार वर्तमान में राजस्व संभाग बिलासपुर में ६ जिले है। बिलासपुर चाँपा, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, पश्चिम सरगुजा (कोरिया) एवं सरगुजा।

**जिलावार विस्तृत विकास**

बिलासपुर क्षेत्रान्तर्गत तीन जिलों यथा बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा के ६ संख्या में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है:
ग्रामोंविचुतीकरण-

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>बिलासपुर</td>
<td>1209</td>
<td>1294</td>
<td>98.80</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>रायगढ़</td>
<td>2196</td>
<td>2013</td>
<td>90.66</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>सरसगुजा</td>
<td>2414</td>
<td>2137</td>
<td>88.92</td>
<td>649</td>
</tr>
</tbody>
</table>

क्रम- विचुत सेवा 1993, पूर्ण क्रमांक -13

31 मार्च 98 की स्थिति में क्षेत्र के 17285 पंपों को उर्जीकृत किया चुका है तथा वर्ष 1998-99 में 360 का तक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके विचुत 23 पंपों का उर्जीकरण किया जा चुका है आवासीय परियोजना के तहत 31 मार्च 98 की स्थिति में 21 एम्ब्रिय विचुतीकरण कर दिया गया है। क्षेत्र में 12265 कुल मजरे /टोले हैं। वर्ष 1997-98 का चालू विचुतीकरण वर्ष में 98 का तक्ष्य है। जिसके विचुत 33 मजरे टोले का प्रत्यय बढ़कर 95.69 हो गया है। शासन के निर्देशानुसार क्षेत्र में 1174229 एकल बत्ती कनेक्शन दिए गए हैं। वर्ष 1998-99 की स्थिति में 1728129 एकल बत्ती कनेक्शन दिए गए थे। वर्ष 1983-84 में 37500 कनेक्शन दिए जा का तक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके विचुत अब तक 74007 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस प्रकार कुल 1837846 एकल बत्ती कनेक्शन बिलासपुर क्षेत्र में है।

नगरीय विचुत प्रणाली का उत्तराय-
एव.वही.ए. कर दी गई है। इसके अलावा 33 के.वही. की निम्नलिखित नई लाइनों का निर्माण भी इस योजना में प्रस्तावित है।

1. 33 के.वही.तिफ़रा - व्यापार विहार (सिंगल सर्किट) 8 कि.मी.
2. 33 के.वही.तिफ़रा - राजकिशोर नगर (सिंगल सर्किट) 13 कि.मी.
3. 33 के.वही.तिफ़रा - मंडना (सिंगल सर्किट) 6 कि.मी.
4. 33 के.वही.तिफ़रा - नेहरू नगर (सिंगल सर्किट) 8 कि.मी.
5. 33 के.वही.तिफ़रा - तोरवा (सिंगल सर्किट) 14 कि.मी.

इस योजना के पूर्ण होने पर निम्नलिखित लाभ होंगे:

2.84 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष की ऊर्जा बचत होगी। 33/11 के.वही. के विश्वसनीय उपकरण्डों की स्थापना एवं अन्य कार्यों के पूर्ण होने पर 35.59 मिलियन यूनिट ऊर्जा का अतिरिक्त बिक्रय संभव है। 33 के.वही., 39 के.वही. एवं एल.टी. में बोल्टेज में व्यापक सुधार होगा। इससे उपभोक्ताओं की काफी राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं की प्रयूज संख्या घटेगी तथा दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।

इस प्रकार रायगढ़ शहर के लिए एक पी.एफ.सी. योजना स्वीकृत है जिसमें 39.73 लाख स. व्यय का प्राप्तवर्तन किया गया है। योजना को निम्न कार्य करना है: 5 एम.वही.ए. का नया उपकरण्ड बनेगा। उपकरण्ड ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वृद्धि 200 के.वही.ए. से 315 के.वही.ए. - 2 नग, 100 के.वही.ए. से 200 के.वही.ए. - 13 नग, 63/50 के.वही.ए. से 100 के.वही.ए. - 2 नग, 63/50 के.वही.ए. से के.वही.ए.-03 नग की क्षमता में वृद्धि की जाती है।

नया ट्रांसफॉर्मर लगाना - 315 के.वही.ए. का ब 1 नग, 200 के.वही.ए. का 7 नग तथा 100 के.वही.ए. का 15 नग नया ट्रांसफॉर्मर बनाया जाना है।

कंदरक्टर की क्षमता वृद्धि के अन्तर्गत 81.3 कि.मी. का कार्य प्रस्तावित है। उक्त योजना के पूर्ण होने से रायगढ़ शहर की बोल्टेज समस्या दूर होगी तथा लाइन लॉस में कमी आयेगी तथा इस प्रकार राजस्थान की वृद्धि होगी।
पारेशन लाईनों तथा उपकेंद्रों की समस्या:

म.प. विद्युत मंडल बिलासपुर क्षेत्रात्तंत्रात आने वाले पारेशन लाईनों तथा उपकेंद्रों की जानकारी निम्नानुसार है -

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. को</th>
<th>लाईन</th>
<th>विलेवार 31.3.68 की स्थिति</th>
<th>बिलासपुर श्रेणी</th>
<th>बिलासपुर रायगढ़ सट्टवासा</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>33 के.वी. पारेशन लाईन</td>
<td>१८६६ किमी. ६६४७ किमी. १०४७ किमी. २९६० किमी.</td>
<td>२९६० किमी.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>३३ के.वी. पारेशन लाईन</td>
<td>७३६३ किमी. ७११६ किमी. ७५५० किमी. ६७२१ किमी.</td>
<td>६७२१ किमी.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>एल.टी.लाईन</td>
<td>७८६२ किमी. ७२५७ किमी. ३९१० किमी. ३८०३ किमी.</td>
<td>३८०३ किमी.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>उपकेंद्रों का विवरण</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a.</td>
<td>३३/११ के. व्ही.</td>
<td>२२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या</td>
<td>२२ संख्या</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b.</td>
<td>३३/११ के. व्ही. पावर हार्स</td>
<td>२२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या</td>
<td>२२ संख्या</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>c.</td>
<td>३३-३३. के. व्ही. ब्रेकरस</td>
<td>२२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या</td>
<td>२२ संख्या</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>d.</td>
<td>३३ के. व्ही. केपेसेटर</td>
<td>२२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या</td>
<td>२२ संख्या</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>३३/५ के. व्ही. विदर्शन ट्रांस</td>
<td>२२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या</td>
<td>२२ संख्या</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>३३ के. व्ही. केपेसेटर</td>
<td>२२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या</td>
<td>२२ संख्या</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>एल.टी. केपेसेटर</td>
<td>२२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या</td>
<td>२२ संख्या</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>एल.टी. पंप प्रस्थापित</td>
<td>२२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या</td>
<td>२२ संख्या</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>एल.टी. ओपोलिक प्रस्थापित</td>
<td>२२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या २२ संख्या</td>
<td>२२ संख्या</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

स्रोत: विद्युत सेवा १९६९, पृ. क्र. ४४

जब विद्युत आपूर्ति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होती है -

बिलासपुर क्षेत्र अर्थात सम्पूर्ण राजस्थान संबंध बिलासपुर 'लो बील्टेज प्रोफाइल' के अन्तर्गत आता है। फिर भी उपजनव उपकेंद्रों एवं लाईन संसाधनों में सुचारू आपूर्ति की ना रही है। विशेष अवसरों यथा रबी के मौसम में कुष्टियों को मनाते हेतु तीन फेज
में निरंतर १०-१४ घंटे के बीच विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत प्रदाय का नियमन करते हुए 
आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। जो काफी चुनौतीपूर्ण होती है। इसी प्रकार दुर्गोत्सव, 
गणेशोत्सव आदि धार्मिक अवसरों, विशेष व्यक्तियों के आगमन, चुनाव कार्य संचालन आदि 
के समय विद्युत प्रदाय की सुचारू बनाए रखने हेतु विशेष प्रयास करना आवश्यक हो जाता 
है। ऐसे अवसरों पर विशेष व्यवस्था कर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।
कर्मिक विकास के उपरांत वर्तमान में बिलासपुर क्षेत्र के प्रशासनिक संरचना इस प्रकार हैः

<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>विभाग कार्यालय का नाम</th>
<th>संभाग की विभाग की संख्या</th>
<th>संख्या</th>
<th>संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>अधीक्षण वंचन (सं/सं) बिलासपुर</td>
<td>६</td>
<td>१२</td>
<td>६१</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>अधीक्षण वंचन (सं/सं) अंबिकापुर</td>
<td>४</td>
<td>१२</td>
<td>४०</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>अधीक्षण वंचन (रिविल) बिलासपुर</td>
<td>१</td>
<td>०५</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>अधीक्षण वंचन (एस.टी./आर.ई.) बिलासपुर</td>
<td>२</td>
<td>११</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>अधीक्षण वंचन (परिसंचाल) बिलासपुर</td>
<td>२</td>
<td>०७</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>अधीक्षण वंचन (टी.एल.एस.) बिलासपुर</td>
<td>१</td>
<td>११</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

कृपया ध्यान दें कि संख्या सूचना १९९९, पृ.क.४४

संचालित विविध संस्थान : बिलासपुर क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न संस्थान संचालित हैः

श्रम कल्याण केन्द्र तिफरा - तिफरा स्थित कार्यालयीन परिसर में श्रम कल्याण केन्द्र 
संचालित है, जिसमें रेखा भर मंडल में प्राथमिक शिक्षा विभाग, सांस्कृति
क गतिविधियां, समूहीय आदि आयोजित किए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रमुख उपलब्ध है 
जिनमें विभिन्न पुस्तकों का उपलब्ध है जिनका प्रयोग पाठ कार्य के संस्थान, 
अर्जन तथा मनोरंजन प्राप्त करते हैं।

लाईनमैन प्रशिक्षण केन्द्र अंबिकापुर - तकनीकी स्टाफ के लाईन मैन टर्म तक के 
कर्मियों को तकनीकी विषय एवं लाईनों के रखरखाव एवं सुधार बाबत उच्च गुणवता 
एवं वाचन साक्षात्कारों का प्रशिक्षण देने के लिए मंडल की अनुशासन संस्थान अंबिकापुर 
में लाईनमैन प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।
परिणामित्र सुधार इकाईयों (एस.टी.आर.यू.):

मंडल की अनुसंधान क्रमशः बिलासपुर एवं रायगढ़ में लघु परिणामित्र सुधार इकाईयों का मान किया गया है। इसके अलावा निम्नानुसार संस्थान/कार्यवाही बिलासपुर क्षेत्र के लिए आवश्यक है।

बिलासपुर क्षेत्र की भावी योजनाएँ:

बिलासपुर में पर्यास क्षमता के १३२/३३ के.बी. के पावर ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण सामान्य अर्थ में शाम ६ बजे से प्रथम घंटे अलग-अलग ३३ के.बी. के फीडरों को बंद कर विचुत की आपूर्ति व्यवस्था की जा रही है जो स्थिर अंतर किन तक चलने वाली व्यवस्था नहीं है। अतः बिलासपुर में विचुत भार के केन्द्र को ध्यान में रखकर विचुत भार के बढ़ते हुए क्षेत्र की ओर शासकीय जमीन प्राप्त कर १३२/३३/११ के.बी. के उपकेंद्र की स्थापना करने का प्रस्ताव भेजा गया है जो बाद में २२०/१३२/११ के.बी. के उपकेंद्र में परिवर्तित कर दिया जाएगा। रायगढ़ क्षेत्र में ३३ के.बी. एवं ११ की पिकायत अलग से १३२/३३/११ के.बी. के विचुत उपकेंद्र बनाकर ही दूर की जा सकती है। अंबिकापुर क्षेत्र में ए.ई.सी.एल. की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण विचुत की मांग बढ़ी होने पर बढ़ती जा रही है। आताएव वर्तमान समय में अंबिकापुर में १३२/३३ के.बी. का उपकेंद्र होना अत्यन्त आवश्यक है। आताएव वर्ष १९९८-९९ में इन्हें पूर्ण करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

मुंगेरी में १३२/३३/११ के.बी. के विचुत उपकेंद्र की स्थापना करने पर ही तकतपुर, मुंगेरी, प्यारिया में लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण किया जा सकता है। पेंड्रा रोड में १३२/३३ के.बी. के उपकेंद्र का होना मिलाता आवश्यक है। इस क्षेत्र की ३३ के.बी. मनोन्नदल से विचुत आपूर्ति की जा सकती है और फीडर पर जानी: शाने: कोयला केन्द्र को भी विचुत की आपूर्ति किए जाने के कारण क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या बढ़ गई है। पेंड्रारोड इस फीडर के अंतिम सिरे पर है। फीडर ५ जंगलों से गुजरता है। बलाकेश डाउन की स्थिति में घंटों क्षेत्र एक घंटे में घुम रहा है। पेंड्रा रोड की ३३ के.बी. चार्ज अमरकंटक फीडर से भी विचुत की आपूर्ति की जाती है। जो कि पूरी तरह भारित हो चुका है। यह फीडर ८० कि.मी. लम्बा है और घने जंगलों से गुजरता है। इस पर अनुप्रस्ता सीमा के ३३/११ के.बी. के विचुत उपकेंद्र राजेन्द्र ग्राम बेनीवारी अमरकंटक तथा दिन्दोरी, केंद्रिया, गाड़सरए एवं दिन्दोरी तक विचुत आपूर्ति की जाती है। इसके राजेन्द्र सरकार के बाल्को को भी विचुत आपूर्ति की जाती है। २५० कि.मी. तक विचुत
आपूर्ति करने वाले इस फीडर की विश्वसनीयता बिलकुल नहीं है। क्योंकि आसपास पहुंचने पर यह फीडर भी ब्रेकडाउन में रहता है। पेंड्रोड इस फीडर के अंतिम छोर पर है। पेंड्रा शहर के उत्तर में कोतमी कला में म.प्र. विधुत मंडल का ३२/११ के.व.ह. का एक उपकेन्द्र है। इसके पास ही २२० के.व.ह. लाइन गुजरता है। इसे प्र कर पेंड्रा में २२०/१३२/३३/११ के.व.ह. का एक विधुत उपकेन्द्र स्थापित किया जा सकता है। पेंड्रा रोड में टेकशन उपकेन्द्र के लिए २२० के.व.ह. टावर लाइन का उपयोग करके म.प्र. विधुत मंडल का अलग से विधुत उपकेन्द्र स्थापित किया जा सकता है। अफलतारा एवं शक्ति १३२ के.व.ह. विधुत उपकेन्द्र बनने से क्षेत्र में फैले लंबी ३३ के.व.ह. लाइनों में ओवर लोडिंग की समस्या का निराकरण हो सकता है। कोरबा में बदते हुए औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं घरेलू विधुत की मांग के कारण लोड सेंटर में एक विधुत उपकेन्द्र का होना आवश्यक है।

बैकुण्ठपुर क्षेत्र में प.ई.सी.एल. के बढ़ते नए कठोरश हेतु वैज्ञानिक में स्थापित क्षमता में वृद्धि के कारण विधुत की बढ़ती हुई मांग को एक अतिरिक्त विधुत केन्द्र बनाकर ही दूर किया जा सकता है। जशपुर नया निर्माण बनने के कारण यहाँ की विधुत व्यवस्था को सुधार बनाना आवश्यक है। यहाँ पर विधुत की आपूर्ति १३२ के.व.ह. विधुत उपकेन्द्र पत्थरजागौं से ५५ कि.मी. लगभग ३३ के.व.ह. फीडर से की जा सकती है। यह फीडर ३३ के.व.ह. लाइनों ब्रेक डाउन एवं टिपिंग के कारण बंद होकर जशपुर में विधुत व्यवस्था उपलब्ध करते हैं।

नये संचालन/वृद्धि का सूचना:

म.प्र. विधुत मंडल बिलासपुर के संचालन एवं संचालन संभाग में कई संभागों की जन्म दिया है। यहा शहर संभाग बिलासपुर, चौंघा संभाग, पेंड्रोड संभाग, कोरबा संभाग, शक्ति संभाग और अब भी बिलासपुर में की सबसे पुरानी तहसील मुंगेली में एक विधुत संभाग खोलकर अपनी संभाग का लोक को सेवा हेतु अपने करने की तैयारी है।

मुंगेली में कोई संभाग नहीं है। बढते हुए विधुत भार और आर.ई.सी. योजनाओं के अनुसार इस क्षेत्र में है फैलाए गए विधुत जाल में क्षेत्र में अग्रणिय कृषि क्षेत्र में ताजा है। यहाँ पर चना, मुंगली, सोयाबील, असिटेंट एवं सिंचाई के अन्य ग्रामों की बहुतायत में उत्पादन होता है। ऐसी स्थिति में विधुत के सही उपयोग एवं खपत के अनुपात में राजस्थान की प्राप्ति की समुचित व्यवस्था करना म.प्र. विधुत मंडल के क्षेत्र में है।

अतः मुंगेली में संचालन एवं संचालन संभाग का सूचना जाना अत्यन्त आवश्यक
रायगढ़ जिले में म.प्र. विद्युतः मंडल के संचालन एवं संचारण के दो संभाग हैं। पूरे रायगढ़ जिले में १२९२९ वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले २१६६ आबाद गांव में से २०१४ गांवों में अब तक विद्युत काजलांत बिच चुका है। उनकी समृद्धि के आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रायगढ़ शहर में शहर संचारण का होना नितांत आवश्यक है। जिससे अर्थात मंडल में स्थापित संचालन/संचारण संभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देकर विद्युत विकास का कार्य दृढ़ गति से किया जा सके। म.प्र. विद्युतः मंडल व्यवस्थापिक संस्थानों लेने के कारण इसे अपनी राजस्व प्राप्ति को सुदृढ़ बनाने की योजनाओं को हमेशा मूर्त्तिपि देते रहना चाहिए। इसके अलावा रायगढ़ जिले में मंडल का विषयीय कार्यालय सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

रायगढ़ जिले में अधीक्षण यात्रा तथा लेखापिकारी कार्यालय के सुनिश्चित की मांग इस क्षेत्र की ज़िला द्वारा समूचे समय से समिति स्टार्टों या राज्य सामा संस्थाओं, विधानसभा सदस्यों आदि से की जा रही है। रायगढ़ में वृद्ध कार्यालय खोलने हेतु एक प्रातः मंडल को विभागीय तीर्थ पर प्रेषित है। जिस पर मंडल द्वारा निर्णय लिया जाना है।

**जगदलपुर**

बस्तर संभाग का विभागीय तीन न्यून जिलों में अभी हाल में किया गया है, हाल के निल विभागीय के पूर्व विद्युत विकास निम्नानुसार है।

बस्तर संभाग को सर्वप्रथम सन् १९३० में डीनल पावर हाउस की स्थापना कर जगदलपुर की विद्युत प्रकाश से आलोकित किया गया था, पश्चात सन् १९४७ में उत्तर बस्तर क्षेत्र कार्यरत में डीनल पावर हाउस स्थापित किया गया। उस समय विद्युत वितरण एवं संचालन/संचारण का कार्य लोक निर्माण विभाग की देख रख में होता था।

सन् १९५६ में म.प्र. वि. मंडल के गठन के पश्चात संपूर्ण बस्तर संभाग हेतु जगदलपुर में समान्य कार्यालय प्रारंभ किया गया।

सन् १९६९-७० में डीनल पावर हाउस की स्थापना बीजापुर पर्य वॉन्टो तहसीलों में की गई।

सन् १९६९ में जगदलपुर में मंडल का समान्य कार्यालय आरंभ किया गया निम्न: क्षेत्र में विद्युत विकास में उत्तरार्द्ध वृद्धि का सूचकात हुआ। विद्युत लाइन विस्तार
को गति देने एवं अधिकारिक क्षेत्र में विश्वसनीय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन् 1980 में उप परीक्षण /ग्रामीण वियुक्तीकरण (निर्माण) के संभागीय कार्यालय की स्थापना जगदलपुर में की गई जिसके फलस्वरूप संभाग में ग्रामीण वियुक्तीकरण कार्य में तेजी आई।

मार्च 1969 में कांग्रेस में उत्तर बस्तर के क्षेत्र हेतु आलग संचार/संघ, संभागीय कार्यालय प्रारंभ किया गया। सन् 1988 में गदलपुर में संचारण/संघालय बृहत कार्यालय के शुभारंभ के साथ ही विश्वसनीय दिशा में और वृद्धि हुई। सन् 1988-98 में दक्षिण बस्तर के विश्वसनीय वितरण और संचारण/संचालन में प्रगति लाने के लिए वंदेभाद रजस्थान में संभागीय कार्यालय प्रारंभ किया गया तथा साथ ही उप परीक्षण एवं ग्रामीण वियुक्तीकरण का संभागीय कार्यालय भी वंदेभाद में प्रारंभ किया गया। सन् 1998 में उत्तर बस्तर क्षेत्र में विश्वसनीय कार्यालय में विश्वसनीय प्रगति के उद्देश्य से ग्रामीण वियुक्त सहकारी समिति चरामा की स्थापना की गई।

सन् 1991 में बस्तर संभाग के लिए मंडल द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ज.उ.के) उप क्षेत्र जगदलपुर कार्यालय प्रारंभ किया गया। आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में विश्वसनीय व्यवस्था में विश्वसनीय प्रगति एवं वितरित सेवा उपलब्ध कराने के लिए 1 अप्रैल 1998 में बस्तर संभाग को क्षेत्रीय वर्ग प्रदान करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ किया गया एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता के रूप में बी. के. दास की पद स्थापना की गई। निन्हें प्रतिवर्ष नवम्बर 18 तिथि विश्वसनीय कार्यालय के रूप में पदस्थ किया गया।

बस्तर संभाग में वास्तविक विकास 1962 से प्रारंभ हुआ जब उद्दीशा से जयपुर से हुड्डा मथुरपुर 33 के.वी. उच्च लाइन का विस्तार कर जयपुर तक लाया गया। सन् 1962-63 में 33 के. वी. बालोद, भानुपत्तपुर, नारायणपुर, कांग्रेस, कोड़गुली, जयपुर लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण कर समस्त क्षेत्र को विश्वसनीय विकास द्वारा प्राकृतिक रूप से प्रकाशित किया गया।

वर्ष 1968 में भिलाड़ी बालसूर किरन्दुल 132 के. वी. वितरण लाइन एवं 230/१३२ के. वी. वियुक्त ग्रिड केन्द्र किर्नुल में स्थापित हुआ। निजी भिलाडियाली लोहा अयस्क स्पर्श एवं रेलवे ट्रेकशन की वियुक्त पूरी की गई। बस्तर संभाग में वियुक्त प्रदाय हेतु निम्नांकित उच्च दाब उपकरणों की स्थापना की गई।
कः उपकेन्द्र

शमता (एम.वी.ए.) में

1. २०२/१३२/३३ के. वी. उपकेन्द्र बारसूर ३०४०
   १४०

2. १३२/३३ के. वी. उपकेन्द्र जगदलपुर १४२०
   १०२५

3. १३२/३३ के. वी. उपकेन्द्र किरनदुल १४१५
   १०२५

4. २०२/६ के. वी. एच. वी. डी. सी. उपकेन्द्र बारसूर ३०४०.५

खेत -विनियुत सेवा १९९९, पूर्ण क्रमांक -३२

वर्तमान में नक्कार जिले के चाराम, कॉकर एवं सरोका क्षेत्र की विस्तृत आर्थिक विकास की विशुद्ध आयुक्त विभाग स्थिर १३२/३३ के. वी. उपकेन्द्र से निकलने वाली ३३ के. वी. लाईन से की जाती है। इस लाईन की अधिक लंबाई १२६ कि.मी. एवं शमता से अधिक धार (२०० एमवियर से अधिक) होने के कारण क्षेत्र में कम बोल्टेज की समस्या बनी रहती है। इसके स्थायी निदान के लिए कॉकर में १३२/३३ के. वी. उपकेन्द्र की स्थापना अति आवश्यक है। जिसके लिए मंडल को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस पर लागू ६ करोड़ रू. का खर्च अनुमात है। वर्तमान में मंडल की आधुनिक स्थिति सुनिश्चित न होने के कारण अभी इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इस कार्य हेतु निजीधीर नक्कार के माध्यम से शासन से राशि प्राप्त हेतु निर्देश प्राप्त किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त समस्या के तात्कालिक निदान हेतु मंडल कॉकर में एक ५.० एम. वीर. ए. ३३ के. वीर. बस्टर लगाने के लिए स्वीकृति प्राप्त की गई है। बस्टर लगाने पर कार्य प्राप्ति पर है तथा यथा शेष बस्टर उर्जाकृति कर क्षेत्र में उत्पन्न कम बोल्टेज की समस्या का आधारित निदान कर लिया जाएगा।

क्षेत्रार्थगत ग्रामीण विद्युत्करण हेतु ग्रामीण विद्युत्करण निगम (आर.ए.सी.) योजना के अंतर्गत एम. एन. पी. आर. इ.एस. पू० एवं एस. टी. एन. डी. एवं नगरीय विद्युत प्रणाली के उत्तन के हेतु पी. एफ. सी. योजना के अंतर्गत कार्य प्रक्रिया चौथ है।

वर्ष १९९८-९९ के लिए क्षेत्र के उन २३ ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु लक्ष्य में शामिल किया जा रहे हैं। जो कि जंगल विहीन हैं इन ग्रामों का विद्युतीकरण प्रक्रिया में हैं। तथा मार्च १९९९ तक कार्यपूर्णता आर्थिक किया है, किंतु अनेक अविद्युतकृत ग्रामों में
विश्वसनीय करण हेतु पेड कटाई आवश्यक है। इसलिए उच्चतम न्यायालय द्वारा पेड कटाई पर प्रतिबंध, में ढील के बिना विश्वसनीकरण संभव नहीं है। वर्ष १९९८-९९ में मंडल द्वारा बन व्यवधान सहित ५ मंजरों के विश्वसनीकरण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। इन सम्म मंजरों/टोलों के विश्वसनीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा मार्च १९९९ के अंदर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्ष १९९८-९९ में सांसदों व विधायकों के विकास मद व विभिन्न भागों से जमा योजना के अंतर्गत ७७ मंजरों/टोलों व विश्वसनीकरण के लिए ८२.५२ लाख रुपए की राशि प्राप्त की गई है। इन ७७ मंजरों/टोलों व विश्वसनीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। तथा शेष २७ मंजरों/टोलों का कार्य ६० के अंतर्गत करना आवश्यक है।

रस्ते पर शेष आवश्यकीय साधन शेष है जो गांव कृषकों का पर मंजर लगाने में अरुचि के कारण वर्ष १९९८-९९ में क्षेत्र हेतु ५० पंपों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किंतु गंडन के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं व्यापारी प्रशासन के अधिकार प्रशासन एवं व्यापक प्रसार प्रचार कृषकों में पंप लगाने विषयक उल्लेख नामों हुआ है। तथा लक्ष्य से अधिक आवश्यक प्राप्त हुआ है। जिसे दृष्टिगत रूप से लक्ष्य बढ़ाकर १५० पंपों के द्वितीय करण का कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। कार्य प्रारंभ के समय तथा मार्च १९९९ तक पंपों का लाभमापन विषयक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

क्षेत्र में जिलेवार विश्वसनीय विकास की वर्तमान कालिक प्रगति के आंकड़े मीमांसायुक्त हैं।

क्षेत्र में विश्वसनीय विकास की भावी चुनौतियाँ-

वर्तमान में उच्चतम न्यायालय द्वारा पेड कटाई प्रतिबंधित कर दिए जाने के कारण क्षेत्र के अविश्वसनीकृत ग्रामों का विश्वसनीकरण कार्य संभव नहीं हो पर रहा है। नहीं के विश्वसनीकरण हेतु पेड कटाई आवश्यक नहीं है उन्हीं गांव का विश्वसनीकरण किया जा रहा है। किंतु ऐसे ग्रामों की संख्या नग्न है। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रामों में सीर उर्जा संपन्नों द्वारा भी विश्वसनीय आपूर्ति की जा रही है। चूंकि क्षेत्रांतर्गत आने वाला अधिकांश अविश्वसनीकृत क्षेत्र दुर्गम पहाड़ियों एवं संपन्न बनों से आच्छादित है। नकसली प्रभावित है तथा क्षेत्र संरक्षित बन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए ऐसे ग्रामों का विश्वसनीकरण संभव नहीं हो पर रहा है।

क्षेत्र के यह बनों से आच्छादित होने दुर्गम पहाड़ियों से फिरे होने पहुंच मार्ग के अभाव एवं संपूर्ण क्षेत्र के नकसली प्रभावित होने के साथ-साथ ग्रामिणों द्वारा विश्वसनीय
लाइनों के करंट से अभियंत्र शिक्षार के कारण विद्युत आपूर्ति का कार्य वर्ष भर चुनौतीपूर्ण होती है। विशेष रूप में वर्षा क्रम में नदी नालों का पानी चढ़ जाने एवं पेड़ों की डालियाँ लाईनों पर गिरने से विद्युत आपूर्ति में व्यवधान सुचारू विद्युत आपूर्ति को चुनौतीपूर्ण बनाता है।

क्षेत्र में अधिकारियों/कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है। अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरण पर कर्मचारी/अधिकारी बस्तर क्षेत्र के दूर आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यहाँ नहीं आना चाहते। क्षेत्र में तुर्कम पहाड़ियों, सपने बनने, नवसली गतिविधियों जैसी विषय परिस्थितियां तो ही हैं, साथ ही क्षेत्र अत्यधिक वृहद एवं लाइनों की लंबाई अत्यधिक है जिससे कार्य निष्पादन अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तथापि उपलब्ध अधिकारी एवं कर्मचारियों की सहायता से सुचारू विद्युत विभिन्न खेल कूद, पठन-पाठन, एवं सास्कृतिक गतिविधियों संचालित की जा रही है। क्षेत्र में परेशान एवं वितरण हानि का प्रतिशत अन्य क्षेत्रों की तुलना में अत्यंत कम है। वर्ष १९९७-९८ में यह १३.७% रहा, वर्ष १९९८-९९ में इसमें और अधिक कमी हेतु उपयोग कर प्रयास किए जा रहे हैं।
बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति में एन.टी.पी.सी. की अहम भूमिका

एनटीपीसी राष्ट्र की तर्क के लिए आवश्यक विद्युत उत्पादन और आपूर्ति की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां एक और वे एनटीपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन को लगातार बढ़ाने के प्रति सक्षम हैं, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता तथा बेहतर प्रबंधन के लिए प्रयासरत हैं ताकि इसमें निवेशित राष्ट्रीय कोष का बेहतरीन उपन्यास हो सके।

राष्ट्रीय विद की कुल 26,283 मेगावाट व्यवसायिक विद्युत उत्पादन का करीब 98% फीसदी (25,793 मेगावाट) राहती एनटीपीसी का होता है। वैसे 1998-99 के दौरान निगम ने यह राहत 30 प्रतिशत तक कर दिखाया है। मध्यप्रदेश के कोरबा और विष्णुपुर की व्यवसायिक अग्रणी 1900 और 1260 मेगावाट हैं। जबकि गुजरात के कवास और गांधार के यह 641 और 648 मेगावाट हैं। कोरबा में ही एनटीपीसी भारत एनटीपीसी कंपनी के लिए 370 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र चला रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रतिवर्षीय क्षेत्र के ऊर्जा संयंत्रों ने करीब 1663 करोड़ युनिट विद्युत उत्पादित की। आज देश में निर्मित होने वाली कुल बिजली का 73 प्रतिशत ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित होता है जबकि पनविद्युत परियोजनाएं 25 प्रतिशत और परमाणु बिजली सिर्फ 25 प्रतिशत के आसपास हैं।

कवास और गांधार 650-650 मेगावाट के 2 अतिरिक्त संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जो नौबों पंचवर्षीय योजना के तहत पूर्ण होंगे, जबकि विष्णुपुर का अतिरिक्त संयंत्र 500 मेगावाट और बिजली बनाएगा। इसी तरह मध्यप्रदेश में सीमा में 500-500 मेगावाट की 7 इकाइयों वर्ष 2007 तक पूरी कर ली जाएगी। एनटीपीसी तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के साथ मिलकर गुजरात में हजारों एवं एक शुरुआत उपकरण स्थापित करने जा रहा है जो 360 मेगावाट का होगा। वर्ष 2007 तक एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता 30,000 मेगावाट तथा वर्ष 2012 में 40,000 मेगावाट हो जाएगा।
एनडीपीसी हिमाचल प्रदेश में कोल ड्रम पनबिजली परियोजना ७०० मेगावाट और रामपुर ड्रम (९०० मेगावाट) पनबिजली परियोजना लगाने के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य विधान बोर्ड के साथ विचार-विमर्श कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने २४ लाख टन राख का उपयोग उत्पादक कार्यों के लिए किया। राख का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट और एसबेस्टस बनाने, राख कुंडों को ऊँचा करने और भूमि के विकास में किया गया। राख उपयोग को बढाने देने पर भी बन दिया गया।

नेशनल थर्मल पावर काम्पेन लिमिटेड (एनडीपीसी) ने मथ्युप्रदेश विधुत मंडल को चेतावनी दी है कि १० फरवरी तक यदि बकाया राख नहीं चुकाया तो मार्च से या तो बिजली दना बंद कर दिया जाएगा या सीमित आपूर्ति की जाएगी। जनवरी २००१ तक १९७३.२२ करोड़ सप्ताह (सरचार्ज सहित) बकाया छत्तीसगढ़ के अलावा राज्य बनने के बाद मे मथ्युप्रदेश विधुतमंडल की वित्तीय हालत और डगमगा गई है।

मंडल ने जनवरी २००१ में २५६.३२ करोड़ सप्ताह की बिजली ली और मात्र ५० करोड़ सप्ताह चुकाये हैं। इससे बिजली दिसंबर में १८५.४२ करोड़ की बिजली की एक में १५० करोड़ सप्ताह और नवम्बर में २२५.२१ करोड़ सप्ताह की बिजली के एक में भी १५० करोड़ सप्ताह चुकाये गये।

सन् १९९७-९८ में मंडल ने ११२३.६५ करोड़ की बिजली ली और ४४.८२ करोड़ सप्ताह कम चुकाये। १९९८-९९ में १६६६.६० करोड़ सप्ताह की बिज रूप से १६०.१२ करोड़ सप्ताह, १९९९-२००० में ९६.८० करोड़ सप्ताह की बिजली बिल में २९०.२२ करोड़ सप्ताह और २०००-२००१ में २३३३.३७ करोड़ सप्ताह बिल में २५५.३२ करोड़ सप्ताह कम चुकाये। कम चुकाकर राशि सरचार्ज ३३९.७३ करोड़ सप्ताह सहित १५७५.२३ करोड़ सप्ताह हो गई है।

मथ्युप्रदेश विधुत मंडल के लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट (एन सी लिमिट) का उल्लेख किया है जो २५० करोड़ सप्ताह है। कहा गया है कि यह लिमिट दिसंबर
2000 में खत्म हो गई है और इस सब बाबत का समापन नहीं हुआ या हुआ है। जबकि इसी दौरान मंडल एनटीपीसी से अधिकतम संबंधित ही रहा है।

जनवरी में केवल 80 करोड़ समय 256.32 करोड़ समय के प्रबंध में चुकाने के बारे में मंडल अधिकारी अपनी समस्ती बता रहें हैं। मंडल हर माह पूरी राशि चुकाये। एल.सी. लिमिट 200 करोड़ तक बढ़ाये और परियोजना के लिए समय सीमा वाली कार्योपराचक तैयार के। यदि विचुर मंडल 10 फरवरी तक शर्तों पूरी नहीं करता है तो बिजली आपूर्ति अवलंब या सीमित की जा सकती है।

एनटीपीसी ने सलाह दी है कि मंडल अपने उपभोक्ताओं को भविष्य और परेशानियां से बचने का। उल्लेखनीय है कि मंडल एनटीपीसी से 85 प्रतिशत तक बिजली ले रहा है। इस संबंध में प्रशंसा के बावजूद मंडल का पश्चात् नहीं मिला सका।

--------
छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल को 700 करोड़ लौटाने का आदेश

विद्युत मंडल विवाद पर केन्द्र का फैसला म.प्र. के पक्ष में नोटीफ़ी के रूप में :-

केन्द्र सरकार ने संतान: म.प्र. विद्युत मंडल और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के मध्य राजस्व बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद पर अपना फैसला कर दिया है। केन्द्र सरकार ने दो दिन पूर्व छत्तीसगढ़ शासन को फता लिखकर आदेश दिया है कि 15 नवंबर 2000 से 30 अप्रैल 2001 तक विद्युत मंडल के खाते में जमा राजस्व में से खर्च कटाकर शेष राजस्व म.प्र. के हवाले करे। केन्द्र के उपरोक्त आदेश से छत्तीसगढ़ को लगभग सात सौ करोड़ रु. की राशि म.प्र. को लौटाये जाने की संभावना है।

विद्युत मंडल के राजस्व बंटवारे को लेकर म.प्र. और छत्तीसगढ़ के मध्य उस वक्त विवाद शुरू हो गया था। जब छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के गठन की अभिसूचना जारी करने के बाद 1 दिसम्बर से म.प्र. को राजस्व भेजना शुरू कर दिया था। इसी विवाद से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पूरा खाता भी खोला गया। जिसमें प्रात राजस्व की राशि को जमा करना शुरू किया गया, के अनुसार एक दिसम्बर 2000 को ही एस.ई.बी. का खाता खुलने के विवाद से 11 अप्रैल 2001 तक लगभग 700 करोड़ रु. का राजस्व जमा हुआ है।

मध्यप्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य गठित हुए तीन वर्ष बीत गये किन्तु दोनों प्रदेशों के बीच बंटवारे का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। बंटवारे में सर्वाधिक विवाद म.प्र. विद्युत मंडल की राजस्व देखभाल को लेकर है। केन्द्र ने पंच बन कर मैसूरा मध्यप्रदेश के पक्ष में देकर छत्तीसगढ़ के साथ संयुक्त कर दिया और उदाहरण पेश किया गया है। किसी भी राज्य में विद्युत मंडल का मामला राज्य का विषय होता है। इसी आधार पर आज जोगी ने एक नवंबर 2000 को सी.एच.सी. फाइल में शर्म लेने के 15 दिनों बाद 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के गठन की घोषणा कर दी थी। यह कदम म.प्र. शासन को नागरी गुजर और विद्युत मंडल की समस्या देखने के बिभाजन की राज में तरह-तरह के अड़े लगाने शुरू कर दिया। मामला केन्द्र ने पंच बन गया। केन्द्र ने
अधिसूचना जारी कर 11 अप्रैल 2001 को वो पृथक विद्युत बंदों को मान्यता दी और इसी आधार पर 15 नवम्बर 2000 से 11 अप्रैल 2001 के मध्य छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल द्वारा संकलित राजस्व जो लगभग 700 करोड़ है, खर्च काटकर म.प्र. विद्युत मंडल को लौटाने कहा जा रहा है। प्रदेश ने अपने विवादों की निपटाने के लिए राजग शासित केन्द्र सरकार को पंच बना कर फेसला देने को कहा। फैसले से मध्यप्रदेश विद्युत मंडल लाभान्वित हो रहा है तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की क्षति हो रही है। छत्तीसगढ़ विकास की लाल लिया एक नवोदित प्रदेश है, जो अपने विपुल उर्जा स्रोतों से पूरे प्रदेश को हरा-भरा करने और औद्योगिक कृति से विद्युत उत्पादन वितरण, विस्तार कार्य से ध्यान बंटने की संभावना है। अनेक मुदे इस गठन-तिथि विवाद से अनिर्धित ही पड़े रहें। जिससे दोनों प्रदेश को नुकसान होगा।

राज्य विद्युत बोर्डों पर विभिन्न वित संस्थानों का 40 हजार करोड़ कर्ज होने से आमूलचुक सुधार करने राज्यव्यवस्था वितरण प्रणाली स्थापित करने केन्द्र सरकार वितरण कर रही है। विद्युत वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास है इसलिये केन्द्र उन्हें विष्कास में लेकर इस क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाना चाहता है। लाभकारी स्थिति में लाने के लिए शुरू में निलों में केन्द्र की मदद से जिला वितरण अवस्था को सुधार बनाया जायेगा।

राज्य विद्युत बोर्डों पर 10 अरब यानी 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और इन विद्युत मंडलों की सालाना 26 हजार करोड़ रुपये का खर्च हो रहा है। प्रत्येक निलों में एक ऋण विकास समिति की भूमिका निभाने केन्द्र सरकार तैयार है। नये राज्य विद्युत मंडल बंदटोर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति इस समय अलग ही है। क्योंकि उत्पादन क्षमता और राजस्व प्राप्ति की संभावनाओं में आशा की नयी किस्म फैला दी है।